रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2019/आश्विन 4, 1941
No. 338] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2019/ASVINA 4, 1941

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

सं.जी/18–सीडब्ल्यूए/9/2019.– कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उपधारा 5 के अनुसरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान की परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और उक्त संस्थान के लेखा परीक्षित लेखों को एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

सीएमए एल. गुरूमूर्ति, सचिव (कार्यकारी)

60वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2018–19

दि काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को इस संस्थान के भागों, समितियों, क्षेत्रों की उपलब्धियों और कियाकलापों तथा अध्यायों का उल्लेख करते हुए इस 60वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वार्षिक रिपोर्ट 2018–19

समिति/ बोर्ड/प्रकोष्ठ/निदेशालय के क्रियाकलाप

परीक्षा निदेशालय

- फाउंडेशन, मध्यवर्ती, अंतिम और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष में दो बार अर्थात जून माह में और दिसंबर माह में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का आयोजन जून, 2018 में 3 विदेशी केन्द्रों सहित 118 परीक्षा केन्द्रों में और दिसंबर, 2018 में 3 विदेशी केन्द्रों सहित 120 परीक्षा केन्द्रों में किया गया था। कुल मिलाकर जून, 2018 की अवधि की परीक्षा में 46,568 परीक्षार्थी और दिसंबर, 2018 की अवधि की परीक्षा में 57,901 परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। जून 2018 और दिसंबर, 2018 दोना हीं अवधियों के लिए अंकों के सत्यापन का परिणाम संस्थान की वेबसाइट (www.icmai.in) पर डाल दिया गया था।
- संस्थान ने दिनांक 15 मई, 2019 को इस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, I बी–201, सेक्टर– III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में अपना राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत – 2019 समारोह आयोजित किया। वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. बसाब चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने उदघाटन सत्र में दीक्षांत स्मारिका जारी की।

सदस्यता विभाग

सदस्य सुविधाएं और सेवा समिति के मार्ग निर्देशन में और संस्थान के प्रधान की सक्रिय अगुवाई में सदस्यता विभाग ने डेश बोर्ड प्रणाली, जो वास्तविक समय आधार पर अद्यतन होती है, कार्यान्वित करके सदस्यों और भावी सदस्यों को उनकी अपेक्षित जरूरतों के संदर्भ में उन्नत और अबाध सेवाएं प्रदान की। वित्त वर्ष

2018–19 के दौरान 2105 नए सदस्य एसोसिएट सदस्य बने और 389 मौजूदा सदस्यों को फेलोशिप के लिए आगे किया गया। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान करने के क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई। पहले शुरू किए गए विशेष कार्यों को जारी रखा गया, जो इस प्रकार हैं :

- सदस्यों द्वारा आनलाइन भुगतान करने में सुविधा शुल्कों/ बैंक शुल्कों की माफी
- सदस्यों के लिए ई–मेल सुविधा प्रारंभ करना
- सदस्यता संख्या के लिए जी एस टी संख्या को शामिल करने का प्रावधान करना तथा संबंधित सदस्यता शुल्क रसीदों में भी उसे दर्शाना
- उपलब्ध आनलाइन सेवाएं : सदस्यों और नए आवेदकों के लिए सभी आवेदन और अद्यतन मैनुअल प्रक्रिया प्रणाली के साथ साथ ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा https://eicmai.in/ MMS/Login.aspx?mode=EU पर उपलब्ध है।

2018–2019 की उद्योग समिति में सदस्य

- संस्थान की उद्योग समिति में सदस्यों ने उद्योगों से जुड़े सदस्यों की सेवाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। ये पहल सदस्यों का एक पेशेवर निकाय विकसित करने और नेतृत्व प्रदान करने के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के उद्देश्य को देखते हुए की गई है। समिति ने सी एम ए की महत्वपूर्ण भूमिका में विभिन्न उद्योगों की भागीदारी, उनके प्रसार और प्रावधान के लिए क्रियाकलाप और कार्यक्रम शुरू किए।
- समिति ने आठ पृष्ठ के एक संदर्भ दस्तावेज के प्रकाशन के लिए पहल प्रयास शुरू किए जिसमें संस्थान की व्यापक जानकारी, संस्थान के उद्देश्यों, व्यवसाय का सामयिक इतिहास, विभिन्न उद्योगों में सी एम ए की भूमिका और व्यावसायिक कार्य के दायरे का उल्लेख है। इस दस्तावेज का अभिप्राय संस्थान और व्यवसाय की निरंतर ब्रांडिंग करना था। देश भर में विभिन्न उद्योगों, मंत्रालयों, सदस्यों ओर कारपोरेट उद्यमियों को इसका परिचालन होने से इस व्यवसाय की ब्रांड इमेज बढ़ेगी क्योंकि इसमें इस व्यवसाय और राष्ट्र के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका के बहुत ही लाभप्रद आयाम संक्षेप में दिए गए हैं।

व्यावसायिक विकास निदेशालय और सतत व्यावसायिक विकास समिति

✓ **व्यवसाय के दायरे को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों के साथ बैठकें :**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए), कृषि मूल्य आयोग, कर्नाटक सरकार, वाणिज्यि एंव उद्योग मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और अन्य

- ✓ सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य संगठनों का प्रतिनिधित्व
- ✓ मार्गनिर्देशन नोट का प्रकाशन
- ✓ व्यवसाय में आने वाले सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण उपायों पर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ✓ राष्ट्रीय सी एम ए पेशेवर सम्मेलन (एन सी पी सी) 2018

पी डी एवं सी पी डी समिति ने भुवनेश्वर चैप्टर के सहयोग से भुवनेश्वर, उड़ीसा में 23 दिसंबर, 2018 को "उभरते व्यावसायिक अवसर : सी एम ए की क्षमता का निर्माण" विषय पर राष्ट्रीय सी एम ए पेशेवर सम्मेलन (एन सी पी सी – 2018) आयोजित किया। श्री शशि भूषण बेहरा, माननीय कैबिनेट मंत्री, वित्त, उत्पाद एवं लोक उद्यम मंत्री, उड़ीसा सरकार इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे और भ्रतर्हरि मेहताब, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा राष्ट्रीय सी एम ए पेशेवर सम्मेलन (एन सी पी सी) 2018 के सम्मानित अतिथि थे।

- ✓ व्यावसायिक संबंध विषय पर कार्यक्रम/ सेमिनार/वेबिनार
- ✓ संस्थान की अन्य समितियों के सहयोग से कार्यक्रम :

सतत शिक्षा कार्यक्रम वेबिनार, अध्ययन सर्कल, संयुक्त कार्यक्रम, अध्ययन सर्कल की संरचना

अध्ययन निदेशालय (डी. ओ. एस)

अध्ययन निदेशालय (डी. ओ. एस.) को छात्रों से संबंधित क्रियाकलाप सौंपे गए है। वर्तमान में इसकी चार शाखाएं हैं : (क) शैक्षणिक (ख) प्रशासनिक (ग) कैरियर परामर्श और (घ) प्रशिक्षण एवं नियुक्ति। अध्ययन निदेशालय (डी. ओ. एस.) की शैक्षणिक शाखा को गुणात्मक सुधार और कौशल विकास उपायों के माध्यम से क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया है जबकि अध्ययन निदेशालय की प्रशासनिक शाखा छात्रों के प्रवेश संबंधी अन्य मामलों और संबंधित मामलों को देखती है। ऐसी कई गतिविधियां भी हैं, जो दोनों ही शाखाओं के संयुक्त योगदान और प्रभावी पर्यवेक्षण से संचालित हो रही है। कैरियर परामर्श शाखा कैरियर परामर्श योजनाओं को देखती है और विभिन्न क्षेत्रों और पूरे भारत के चैप्टरों के माध्यम से इसका सफल कार्यान्वयन करती है, प्रशिक्षण और नियुक्ति शाखा संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों की प्रशिक्षण गतिविधियों को देखती है और अर्हता प्राप्त सी एम ए के लिए नियुक्ति पूर्व के अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन, कैम्पस प्लेसमेंट और ऑफ कैम्पस प्लेसमेंट करती है।

- गुणात्मक सुधारों के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए की गई पहलें
- छात्रों को सहायता सेवाएं
- सामाजिक जिम्मेदारियां
- सी एम ए कैरियर परामर्श कार्यक्रम (2018–19)
- प्लेसमेंट कार्यक्रम (2018–19)
- प्रशिक्षण क्रियाकलाप (2018–19)

जर्नल और प्रकाशन निदेशालय

- तिमाही 'रिसर्च बुलेटिन' और मासिक 'मैनेजमेंट अकाउंटेंट' जर्नल का नियमित प्रकाशन
- **जर्नल के पाठकों में वृद्धि**

प्रबंधन लेखाकार जर्नल अब समूचे विश्व के 94 देशों में उपलब्ध हैं और हम विश्व के अन्य भागों में इसकी वृद्धि करने का भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

- **एप्स की उपलब्धता**

प्रबंधन लेखाकार जर्नल अन्य पक्षकारों अर्थात मैग्जटर और रीडव्हेयर के माध्यम से पढ़ने के लिए एप्स पर उपलब्ध हैं और हम अन्य मंचों पर मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें सूचीबद्ध करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

- **एन सी सी के लिए स्मारिका – 2019**

जर्नल और प्रकाशन निदेशालय ने 20 और 21 जनवरी, 2019 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित "लागत और प्रबंधन लेखाकार : विगत की ताकत और भविष्य की शक्ति" विषय पर 59वें राष्ट्रीय लागत सम्मेलन (एन सी सी – 2019) एवं एस ए एफ ए आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की।

कर अनुसंधान विभाग (टी आर डी) / कराधान समिति

विभाग का उद्देश्य सदस्यों, छात्रों, सरकारों और अन्य हितधारकों को यथासंभव उच्च स्तरीय सेवाएं, सुझाव, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना है। विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं :–

- **वेबिनार**
- **कारपोरेट के लिए कार्यशालाएं एवं सेमिनार**

दिसंबर, 2018 में भुवनेश्वर में 'परिवर्तित कराधान प्रणाली – सतत आर्थिक विकास के लिए प्रेरक' विषय पर "राष्ट्रीय कराधान सेमिनार" आयोजित किया गया सेमिनार का उद्घाटन श्री गणेशी लाल, माननीय राज्यपाल उड़ीसा द्वारा किया गया। मंत्रियों, सांसदों और मंत्राालयों के अधिकारियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

- **जी एस टी हेल्पडेस्क**

जी एस टी में बाधारहित कार्य के लिए सभी हितधारकों के लिए एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में एक नया डिजिटलयुक्त वातावरण शुरू किया गया है।

- **सरकार को अभ्यावेदन**

संस्थान के कर अनुसंधान विभाग ने सरकार को विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं :–

- ✓ जी एस टी व्यवस्था के तहत जी एस टी रिटर्न का संशोधन और सरलीकरण
- ✓ एंटी प्रोफिटियरिंग के लिए मूल्यांकन नियम और मार्गदर्शन नोट व उपयुक्त प्रारूप
- ✓ एमएसएमई /एसएमई क्षेत्र के लिए जीएसटी का सरलीकरण
- ✓ उचित बाजार मूल्य पर अभ्यावेदन – मूल्यांकन के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) के सदस्यों का सशक्तिकरण और तत्संबंधी प्रमाणन – आय कर नियमों में संशोधन के लिए प्रस्ताव
- ✓ आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 (2) के तहत "लेखांकार" की परिभाषा में लागत लेखाकारों को शामिल करना
- ✓ वाणिज्य मंत्रालय को प्रतिवेदन

- ✓ रिफंड ब्लॉकेज और लेखा परीक्षा उपरांत की जांच की समस्या से निपटने के लिए निर्यातकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए लागत लेखाओं को शामिल करने हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रतिवेदन
- ✓ प्रत्यक्ष कर कानून के संबंध में अभ्यावेदन और "लेखाकारों" की परिभाषा में "लागत लेखाकारों" को शामिल करने के संबंध में प्रतिवेदन।

- **पखवाड़ा टैक्स बुलेटिन**

24 "पखवाड़ा टैक्स बुलेटिन" का सफल प्रकाशन किया गया है, जिसकी सरकारी विभागों, व्यापार संघों, उद्योग हाउस, संस्थान के सदस्यों और अन्य कर पेशेवरों द्वारा काफी सराहना की गई है।

- **विभिन्न प्रकाशन**

हितधारकों के ज्ञान के आधार पर समृद्ध करने के लिए विभाग ने वर्ष के दौरान कई पुस्तकें जारी की हैं, जिनकी पेशेवरों द्वारा सराहना की गई है और देश के बदलते कराधान वातावरण को देखते हुए कराधान व्यवस्था पर अद्यतन विकास को शामिल करने के लिए नियमित आधार पर अद्यतन भी किया जा रहा है।

- **कराधान पोर्टल**

इस पोर्टल पर कोई भी देश की कराधान व्यवस्था में प्रकाशनों, सेमिनारों, पाठ्यक्रमों, बुलेटिन, अद्यतन, सी बी आई सी और सी बी डी टी के साथ लिंक, अधिनियम, नियमों इत्यादि तक पहुंच के जरिए लगभग सभी अद्यतन जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।

- **कराधान पोर्टल पर टॉप स्टोरीज**

अद्यतन जानकारियों के साथ स्वयं को अद्यतन रखना ज्ञान वृद्धि के लिए प्रारंभिक शर्त है। देश की कराधान व्यवस्था में निरंतर बदलते परिदृश्य को देखते हुए कर अनुसंधान विभाग ने कराधान पोर्टल में "टॉप स्टोरीज" खंड शुरू किया है। अधिसूचनाओं, परिपत्रों और फैसलों इत्यादि पर अद्यतन जानकारी इस खंड के तहत अपलोड की जा रही हैं, जिसमें वास्तविक समय आधार पर एक सारांश दिया जा गया है ताकि हितधारकों को कराधान के मामलों पर अद्यतन जानकारी मिल सके।

- **कराधान पाठ्यक्रम**

कर अनुसंधान विभाग ने प्रत्यक्ष करों और जी एस टी, दोनों में तीन नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जो कि अप्रैल, 2019 के दौरान शुरू करने का कार्यक्रम है। वे हैं :

1. जी एस टी पर उन्नत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
2. टी डी एस पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
3. रिटर्न भरने और दाखिल करने के संबंध में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए जी एस टी पर एक क्रेश कोर्स भी तैयार किया गया है और मई, 2019 में पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रास किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखांकन पर समिति

- देहरादून चैप्टर के सहयोग से समिति ने दिनांक 16 दिसंबर, 2018 को 'सी एम ए के लिए अज्ञात क्षेत्रों' पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और तब गजियाबाद चैप्टर के सहयोग से 20 दिसंबर, 2018 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- "भारत में आर्थिक सुधारों के लिए एक दृष्टिकोण" विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिनांक 13 जनवरी, 2019 को नोएड़ा में इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 तथा वस्तु व सेवा कर के संबंध में चर्चा की गई।
- समिति ने स्कोप कंवेंशन सेंटर, नई दिल्ली में 17 जनवरी, 2019 को 'सरकारी क्षेत्र में लागत' पर एक सेमिनार आयोजित किया।
- दिनांक 10 फरवरी, 2019 को फरीदाबाद में 'सरकारी क्षेत्र और फोरेंसिक ऑडिट में लागत' पर एक सेमिनार आयोजित किया।
- समिति ने गाजियाबाद चैप्टर के सहयोग से गाजियाबाद में दिनांक 10 मार्च, 2019 को 'लागत और प्रबंधन लेखाकार : द वे अहैड' पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।

आंतरिक समिति

यौन उत्पीड़न पर आयोजित कार्यशालाएं अथवा जागरूकता कार्यक्रम : 2

अनुशासनिक निदेशालय

1. लागत और कार्य (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21क के तहत अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड की दो बैठकें दिनांक 31.10.2018 और 07.04.2019 को आयोजित की गई। बोर्ड ने अनेक शिकायतों और लागत व कार्य अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत सूचना पर विचार किया। इस अवधि के दौरान अनुशासन बोर्ड द्वारा 02 (दो) शिकायतों और 08 (आठ) सूचना का निपटान किया गया।

2. लागत और कार्य (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 21ख के तहत अनुशासन समिति

अनुशासन समिति की तीन बैठकें 05 अक्टूबर, 2018, 26 अक्टूबर, 2018 और 01 अप्रैल, 2019 को हुई। समिति ने अनेक शिकायतें लागत व कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत सूचना पर विचार किया।

कैट (सी ए टी) समिति

कैट निदेशालय ने अप्रैल, 2019 से कैट पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश शुरू किया है। केरल में कैट पाठ्यक्रम केरल सरकार की अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम (ए एस ए पी) परियोजना के द्वारा लगातार छठे वर्ष सफलतापूर्वक चलाया गया। अध्यक्ष – कैट ने बिहार सरकार के मंत्रियों अर्थात श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय शहरी विकास और आवास विकास मंत्री, श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय श्रम संसाधन एवं कौशल विकास मंत्री, श्री श्रवण कुमार, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री प्रमोद कुमार, माननीय पर्यटन मंत्री के साथ कैट पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए बैठकें कीं। अध्यक्ष – कैट ने 6 मार्च, 2019 को लेखांकन तकनीशियनों में प्रमाण पत्र (कैट) में पंजीकृत छात्रों के साथ सेमिनार के जरिए एक परस्पर चर्चा सत्र आयोजित किया ताकि उनकी समस्याओं और उनके समक्ष आ रहे मामलों पर अधिक जानकारी मिल सके। वेबिनार के दौरान, छात्रों ने कैट पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए सुझाव भी दिए। कैट निदेशालय ने अप्रैल, 2019 माह को प्रोत्साहन मास के रूप में घोषित किया। विचार यह था कि कैट पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वालेंटियरों को आकर्षित करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों, चैप्टरों, मान्यता प्राप्त कोचिंग सेंटरों (आर ओ सी सी), सदस्यों, के जरिए अधिक से अधिक युवाओं को आकर्षित किया जाए और प्रवेश में वृद्धि की जाए। संस्थान की परिषद ने कैट पाठ्यक्रम का संशोधित पाठ्यक्रम अनुमोदित किया।

तकनीकी निदेशालय

लागत लेखांकन मानक बोर्ड :

संस्थान के मानक निर्धारण निकाय, सी ए एस बी ने **सी एम ए बलविन्द्र सिंह** की अध्यक्षता में दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 को चंडीगढ़ में और दिनांक 29 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में दो बार बैठकें की। बोर्ड ने सी ए एस – 4 का संशोधन करने के अलावा, निम्नलिखित क्रियाकलाप भी किए हैं:–

1. सी ए एस – 4 (संशोधित 2018) – उत्पादन/ अर्जन/ वस्तुओं की आपूर्ति/ सेवाओं के प्रावधान पर लागत के संबंध में लागत लेखांकन मानक जारी करना।
2. एक लागत लेखाकार द्वारा संकलन कार्यों पर मार्गदर्शन नोट जारी करना।
3. अध्यक्ष द्वारा इंड ए एस और जी एस टी जारी करने के कारण लागत लेखांकन मानकों में आवश्यक संशोधन करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया गया।
4. एम एस एम ई सेक्टर के लिए लागत प्रबंधन पर मार्गदर्शन नोट लाने के लिए अन्य कार्य समूह।
5. सी ए एस – 2 में सीमित संशोधन करने के लिए तकनीकी सेल और सी ए एस बी के सदस्यों सहित एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया।

लागत लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (सी ए ए एस बी)

सी एम ए पी. वी. भट्टड की अध्यक्षता में संस्थान के सी ए ए एस बी के मानक निर्धारण निकाय ने वर्तमान अवधि के दौरान तीन बार अर्थात 27 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में, 29 दिसंबर, 2018 को मुम्बई में और 28 जनवरी, 2018 को चैन्नई में बैठक की । पहली बार बोर्ड ने लागत लेखा परीक्षा पर मानकों के संबंध में एफ ए क्यू तैयार करने के लिए बोर्ड की बैठक होने से पूर्व संबंधित क्षेत्र के पेशेवर सदस्यों के साथ चर्चा की। बोर्ड द्वारा एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी करने के लिए निम्नलिखित ड्राफ्ट तैयार किए गए :

- एस सी ए 101 – 101 पर प्रारूप एफ ए क्यू
- गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रारूप मानक

कारपोरेट कानून समिति :

सी एम ए (डॉ.) पी वी एस जगन मोहन राव की अध्यक्षता में कारपोरेट कानून समिति की दिनांक 3 दिसंबर, 2018 को कोलकाता में केवल एक बैठक हुई। बैठक में दिनांक 4 जनवरी, 2019 को अखिल भारतीय आधार पर कारपोरेट कानून दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया। संस्थान के सदस्यों के लिए समिति द्वारा कुछ वेबिनार भी आयोजित किए गए :

1. सी एम ए (डॉ.) राजकुमार एस. अदुकिया द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2019 को "बिजनेस ट्रिब्यूनल – एन सी एल टी, पी एम एल एल, एस ए टी, एफ ई एम ए, जी एस टी इत्यादि, ट्रिब्यूनल क्राफ्ट, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंस, सलाहकार सेवाओं द्वारा ग्राहकों की मूल्यवर्धन में गोल्डमाइन अवसरों में सी एम ए की भूमिका विषय पर दिनांक 7 मार्च, 2019 को वेबिनार का आयोजनकिया गया ।
2. एक विशेषज्ञ फैकल्टी सी ए वुडाली गौरी द्वारा वित्तीय दस्तावेज – ए एस – 109, एस – 107 और ए एस – 32 पर इंड ए एस के संबंध में 20 मार्च, 2019 को वेबिनार का आयोजन।

तकनीकी प्रकोष्ठ (2018 – 19)

सी एम ए (डॉ.) धनन्जय वी. जोशी, विगत प्रधान की अध्यक्षता में संस्थान के तकनीकी प्रकोष्ठ ने वर्ष के दौरान 4 बार अर्थात 13 और 14 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में 24 और 25 अक्टूबर, 2018 को बंगलुरु में और दिनांक 10 दिसंबर, 2018 को पुणे में और 15 मार्च, 2019 को कोलकाता में बैठकें आयोजित की। तकनीकी प्रकोष्ठ 15 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में 5 बैठकें आयोजित करने की भी योजना है। तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं :

1. सभी क्षेत्रों में तकनीकी प्रकोष्ठ की बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें व्यवसाय में प्रमुख सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया ताकि लागत लेखा परीक्षा आदि पर अपने विचार/ सुझाव दे सकें।
2. तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा एक समयबद्ध तरीके से, सदस्यों द्वारा उठाए गए लागत रिकार्ड, लेखा लेखा परीक्षा, लागत नियम इत्यादि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक तंत्र भी बनाया गया।
3. उद्योग और अन्य हितधारकों को एक दूसरे के समीप लाने के लिए अपने अभियान के रूप में तकनीकी प्रकोष्ठ ने संस्थान के सदस्यों और उद्योग को परामर्शी सेवाएं देने का निर्णय लिया है ताकि उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा किया जा सके।
4. तकनीकी प्रकोष्ठ ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा "लागतों और कीमतों पर वार्षिक रिपोर्ट 2016–17" नामक एक प्रकाशन जारी करने के संबंध में एम सी ए और सी ए बी को और लाने के लिए पत्र भेजा जिसमें सराहना और कुछ सुझाव शामिल थे और वर्ष 2016–17 में कंपनियों द्वारा दाखिल की गई लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट का विश्लेषण था।

अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग

दक्षिण एशियाई लेखाकार संघ (एस ए एफ ए)

- सी एम ए डॉ. पी वी एस जगन मोहन राव, केन्द्रीय परिषद सदस्य ने वर्ष 2019 के लिए अर्थात 1 जनवरी, 2019 से दक्षिण एशियाई लेखाकार संघ (एस ए एफ ए) के अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया।
- 'निजी क्षेत्र के वित्त को अधिकाधिक करने और विकास के लिए हल निकालने – लेखा व्यवसाय की भूमिका 'विषय पर 24 सितंबर, 2018 को करांची, पाकिस्तान में तीसरी एशिया में आर्थिक विकास संघ के लिए वित्तीय सुधार' (एफ आर ई डी III) का आयोजन किया गया।
- संस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने 66वीं एस ए एफ ए बैठक में वासकुडुआ, श्री लंका में दिनांक 19 अक्टूबर, 2018 को आयोजित एस ए एफ ए की अन्य समिति बैठकों में प्रतिनिधित्व किया।

एशिया और प्रशांत के लेखाकारों का संघ (सी ए पी ए)

विभाग ने वर्ष के दौरान एशिया और प्रशांत के लेखाकारों का संघ (सी ए पी ए) की निम्नलिखित बैठकों में सहयोग किया, जिसमें संस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

- तत्काल पूर्व प्रबंधक और अध्यक्ष – अंतर्राष्ट्रीय कार्य एवं स्थिरता समिति, जो कि सी ए पी ए सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय प्रबंधन समिति (पी एस एफ एम सी) के सदस्य भी हैं, ने समिति की बैठकों और दिनांक 16–18 अगस्त, 2018 तक हनोई, वियतनाम में प्रमाणित लोक लेखाकारों की वियतनाम एसोसिएशन (वी ए सी पी ए) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया।
- एशिया और प्रशांत लेखकारों के संघ ने अपने सदस्यों की बैठकें, असाधारण आम सभा (ई जी एम) की बैठकें और ए एफ ए – सी ए पी ए के संयुक्त मंच की बैठकें डब्ल्यू सी ओ ए की तर्ज पर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की ।

  प्रधान एवं अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कार्य एवं स्थिरता समिति ने सी ए पी ए की ई जी एम में वोट करने वाले प्रतिनिधि के रूप में और नामित सलाहकार के रूप में बैठक में भाग लिया ।
- संस्थान के प्रधान और एसएएफए के अध्यक्ष ने सी ए पी ए की बैठक में और कुआलांलमपुर मलेशिया में दिनांक 31 मई और 1 जून 2019 के दौरान हुए आयोजनों में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय लेखकार संघ (आई एफ ए सी)

विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संघ (आई एफ ए सी) की बैठकों में समन्वय किया और संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले परिषद सदस्यों के लिए व्यवस्थाएं कीं।

✓ **संस्थान में विदेशी निकायों के अधिकारियों का दौरा**

✓ **अंतर्राष्ट्रीय बैठकें और आयोजन**

- संस्थान की पी डी और सी पी डी समिति के अध्यक्ष ने दिनांक 23 और 24 सितंबर, 2018 को आबू धाबी में चार्टर्ड इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड एकाउंटेंसी (सी आई पी एफ ए) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

- भारतीय लागत लेखाकार संस्थान से ढाका में दिनांक 21 और 22 सितंबर, 2018 को आयोजित इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउटेंट ऑफ बंगलादेश को लागत लेखा परीक्षा पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में तकनीकी सहायता प्रदान की गई। संस्थान के विषय विशेषज्ञों ने लागत लेखा परीक्षा के क्षेत्र, कार्य प्रणाली, लाभों और व्यावहारिक पहलुओं पर प्रस्तुति की।

✓ सिंगापुर ओवरसीज सेंट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट का उद्घाटन।

प्रधान का कार्यालय

दिल्ली और कोलकाता स्थित प्रधान का कार्यालय संस्थान के प्रधान की ओर से संस्थान के विभागों और बाहरी एजेंसियों के साथ विभिन्न गतिविधियों के समन्वयन में सुविधा प्रदान करता है। ये गतिविधियों में सीधे तौर पर भले ही शामिल न हों लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर समन्वयन में आसानी के लिए अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा कई कार्रवाई की जाती हैं। विभाग ने परिषद सदस्यों विगत प्रधान और संस्थान के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न कार्यों, जॉब और असाइनमैंट को भी किया। कुछेक मुख्य पहल इस प्रकार हैं :

✓ 59वां राष्ट्रीय लागत सम्मेलन

✓ मंत्रालयों, सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ पत्राचार

✓ प्रधान और उप प्रधान को तकनीकी सहायता

✓ संस्थान के सभी प्रमुख आयोजनों में सहायता :

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

संस्थान ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल हितधारकों की क्षमता और सेवा प्रदानता में सुधार करने के लिए किया बल्कि हितधारकों के साथ वार्ता करने में भी किया।

- सदस्यों के लिए विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यू डी आई एन)
- आई ई पी एस में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की सुविधा
- कैट (सी ए टी) आनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल
- चुनाव के लिए अलग मॉड्यूल अपलोड
- अनुसंधान सर्वेक्षण
- वेबिनार
- उन्नत अध्ययन पोर्टल
- आयोजन पोर्टल और वेबसाइट
- एच आर आई एस
- क्लाउड पर आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थानांतरित करना

बैंकिंग एवं बीमा समिति

- बैंकिंग उद्योग पहलों के भाग के रूप में समिति ने आर बी आई, आई बी ए, आई आई बी एफ प्रतिनिधियों, पी एस बी और निजी बैंकों सहित उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ सतत आधार पर कोस्ट अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट फर्मों की पेशेवर सेवाओं की मान्यता के लिए कार्य किया है।
- समिति ने 'कोस्ट अकाउंटेंटों' और कोस्ट अकाउंटेंट फर्मों को यूकों बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में पैनल में शामिल करने के लिए दिनांक 3 सितंबर, 2018 को पत्र भेजा।
- समिति ने 1 अक्टूबर, 2018 को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक लिमि. में विभिन्न व्यावसायिक वित्तीय स्थितियों के लिए लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों (सी एम ए) को शामिल करने के लिए पत्र भेजा।
- समिति विभिन्न बैंकों में भर्ती विज्ञापन की पात्रता शर्त में चार्टर्ड अकाउंटेंट की शिक्षा के समान लागत लेखाकारों की शिक्षा को शामिल करने के लिए निरंतर प्रतिनिधित्व कर रही है। मार्च, 2019 से मई, 2019 तक के दौरान समिति ने आई डी बी आई बैंक के लिमि. में डी जी एम – एफ ए डी, कराधान, ए जी एम – एफ ए डी कराधान और प्रबंधक – एफ ए डी/ कराधान, ट्रेजरी, भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक

अधिकारियों (ए ए ओ), बैंक ऑफ बड़ौदा में सहायक उपाध्यक्ष – रेलवे, आई डी एफ सी लिमि. में लागत विश्लेषक प्रबंधक और भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक विश्लेषक के पदों के लिए प्रतिनिधि भेजे।

आंतरिक नियंत्रण विभाग

- विभाग ने वर्ष 2018–19 के लिए चार क्षेत्रीय परिषदों और तीन चैप्टरों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षकों के दायरे सहित इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की। उक्त लेखा परीक्षा पूरा होने के बाद सभी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रबंधन के उत्तरों को संकलित करके चैप्टरों और क्षेत्रों को आवश्यक अनुपालन करके समूचना भेजने हेतु एडवाइजरी प्रदान की।
- मुख्यालय के मामले में, विभाग ने आंतरिक लेखा परीक्षक और संबंधित विभागों के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा परिणामों के लिए समन्वयन किया और मामले के निपटान के लिए उपाय सुझाए।
- विभाग जी एफ आर और डी ओ पी के अनुसार मुख्यालय में विभिन्न विभागों से तैयार किए गए विभिन्न खरीद प्रस्तावों की जांच करता रहा है।
- विभाग ने बेहतर नियंत्रण के लिए दैनिक कार्यों और पूरी प्रणाली के लिए विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया और साथ ही जब भी जरूरत पड़ी विभिन्न विभागों को विभिन्न मामलों पर परामर्शी सेवाएं भी प्रदान कीं।

बी एम चत्रथ एंड कं. लिमि.
(पूर्ववर्ती बी. एम. चत्रथ एंड कं.)
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एल एल पी आई एन ए ए जे. 682

पंजीकृत कार्यालय : सेंटर प्वाइंट, चतुर्थ तल, सूट सं. 440
21, हेमंता बसु, सरानी, कोलकता – 700 001
दूरभाष : 2248–4575 / 4667 / 6810 / 6798, 2210–1385, 2248–9934
ई–मेल : bmccal@bmchatrath.in
वेबसाइट : www.bmchatrath.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

योग्य मत

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''संस्थान'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें संस्थान की परिषद द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना, जिसमें कुल 182.89 करोड. रुपए की कुल परिसंपत्तियों तथा कुल 66.21 करोड़ रुपए का राजस्व (अंतर–क्षेत्रीय / चैप्टर लेन–देन) दर्शाते हुए मुख्यालय के लेखा शामिल हैं। अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 13.32 करोड़ रुपए का कुल राजस्व तथा 40.65 करोड़ रुपए की कुल परिसपंत्तियां दर्शाते हुए 4 क्षेत्रीय परिषदों यथा उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एन आई आर सी) पूर्वी भारत क्षेत्राीय परिषद (ई आई आर सी), दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद (एस आई आर सी) और पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यू आई आर सी) के लेखा परीक्षित लेखों को भी समाविष्ट किया गया है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणों के "योग्य मत पैराग्राफ के लिए आधार" में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, अपेक्षित तरीके से सूचना प्रदान करते हैं और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यों तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके अधिशेष एवं उसके नकद प्रवाह की स्थिति का इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य मत का आधार

1. **हक विलेख (टाइटल डीड)**

   क. संस्थान से संबंधित किसी भी सम्पत्ति टाइटल डीड की मास्टर सूची हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः हम संस्थान के नाम पर सम्पत्तियों की कुल संख्या पर कोई भी टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

   ख. हम तरेसठ अचल सम्पत्तियों के टाइटल डीड का सत्यापन कर सके और यह पाया कि :

i) संस्थान के नाम से पंजीकृत किए जाने की बजाय चैप्टर के नाम से बारह अचल सम्पत्तियों के टाइटल डीड पंजीकृत किए गए थे। लागत और कार्य लेखाकार विनियम 1959 के खंड सं. 99(च) और 85(I) (ङ) के तहत सम्पत्तियों का टाइटल संस्थान के सचिव और कार्यपालक समिति के नाम से होना चाहिए और इसीलिए इसे संस्थान के नाम से पंजीकृत किया जाए। अतः इसके कारण से उपरोक्त खंडों का उल्लंघन हुआ है।

ii) सताइस टाइटल डीड के संबंध में हमें मूल डीड की बजाय केवल छाया प्रतियां ही उपलब्ध कराई गई थी। मूल डीड न होने पर हम इन अचल संपत्तियों के मालिकाना हक (टाइटल) की सत्यता सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं।

2. हमें फ्रीहोल्ड भवन के अलावा अचल परिसंपत्तियों के पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए; तदनुसार हम दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण में अचल परिसंपत्तियों के प्रकटन की सत्यता पर टिप्पणी कर पाने में असमर्थ हैं।

3. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों का कोई भी भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

4. क्षेत्रीय परिषद और चैप्टरों के पास चालू खातों के तहत 539.18 लाख रु. की राशि के लिए क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों से कोई भी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

5. संस्थान ने भुगतान के आधार पर अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का हिसाब लगाया है। अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया है। लेखांकन के प्रोद्भवन आधार के अनुसार अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान प्रत्येक वर्ष के लिए किया जाना चाहिए, जो कि 31 मार्च, 2019 तक नहीं किया गया था। इसके कारण उस समय समाप्त वर्ष के लिए संस्थान के आधिक्य (सरलप्स) के संबंध में अधिक विवरण दिया गया।

6. संस्थान के पास तीन वित्तीय वर्षों से भी अधिक समय से 30,71,950/– की गैर–विशिष्ट जमा राशि (नॉन स्पेसिफिक डिपाजिट) बकाया है। धनराशि की प्रकृति का पता नहीं लगाया जा सका।

7. दिल्ली (मुख्यालय) की 5,66,487 रु. की विविध कर्जदारों की राशि विगत तीन वर्षों से बिन समायोजन/बिना वसूली के पड़ी है, जो कि पुनः मिलान किए जाने और पुष्टि किए जाने के अध्यधीन है। संस्थान ने इन कर्जदारों के खिलाफ खराब और संदिग्ध कर्ज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। कर्जदार शेष राशि का पुनर्मिलान और पुष्टि न हो पाने को देखते हुए हम बकाया शेष राशि और वित्तीय विवरण पर इसके परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव की सत्यता का पता लगाने और उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

8. संस्थान की तीन वर्षों से भी अधिक समय से 3,91,132 रु. की विदेशी निकाय की सदस्यता शुल्क राशि के संबंध में देनदारी बकाया है।

9. चैप्टर उप नियमों के खंड 18 के तहत चैप्टर की प्रबंधन समिति अपनी वार्षिक आम बैठक में चैप्टरों और क्षेत्रीय परिषदों के लेखा परीक्षित लेखों को स्वीकार करेगी। तथापि, निम्नलिखित तीस चैप्टरों और दो क्षेत्रीय परिषदों के लिए लेखों को समेकित माना गया है, यद्यपि उनकी संबंधित वार्षिक आम बैठक में लेखों को स्वीकार नहीं किया गया है :–

क्षेत्र	क्षेत्रीय परिषद	चैप्टर
उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् (एन आई आर सी)	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् (एन आई आर सी)	1. आगरा मथुरा चैप्टर
		2. अजमेर भीलवाड़ा चैप्टर
		3. फरीदाबाद चैप्टर
		4. गोरखपुर चैप्टर
		5. गुड़गांव चैप्टर
		6. जयपुर चैप्टर
		7. बीकानेर झुन्झुनु चैप्टर
		8. कोटा चैप्टर
पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ई आई आर सी)	– – – – –	1. बोकारो स्टील सिटी चैप्टर
		2. भुवनेश्वर चैप्टर
		3. कटक जगतसिंहपुर केन्द्रपाडा चैप्टर
		4. गुवाहाटी चैप्टर
		5. रांची चैप्टर
		6. तलचर–एंगुल चैप्टर
पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् (डब्ल्यू आई आर सी)	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् (डब्ल्यू आई आर सी)	1. औरंगाबाद चैप्टर
		2. बड़ोदा चैप्टर
		3. भिलाई चैप्टर
		4. भोपाल चैप्टर
		5. इंदौर देवास चैप्टर

		6. अलवर सोलापुर चैप्टर
		7. कुच–गांधीधाम चैप्टर
		8. नागपुर चैप्टर
		9. विंध्यानगर चैप्टर
		10. बिलासपुर चैप्टर
दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद	– – – – –	1. बंगलौर चैप्टर
		2. कोचिन चैप्टर
		3. नेलाई–पर्ल चैप्टर
		4. विशाखापत्तनम चैप्टर
		5. कोट्टायम चैप्टर
		6. मदुरै चैप्टर

10. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए सी) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ई आई आर सी) के मामले में, जैसा कि संगत लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखों की टिप्पणियों, वित्तीय वर्ष 2014–15 से – प्रगति पर पूंजीगत कार्य से स्पष्ट है, 1,60,44,103/– रु. की राशि प्रगति पर पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाई गई है, यद्यपि इसे वित्त वर्ष 2015–16 से एक नियमित परिसंपत्ति के रूप में उपयोग किया गया है। इसका गैर–पूंजीकरण न होने के कारण से कानूनी कारणवश विगत चार वर्षों से लेखों में कोई भी मूल्यह्रास नहीं प्रदान किया गया है। इसके कारण से अचल परिसंपत्तियों और उसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास का कम विवरण दिया गया है।

11. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् (ई आई आर सी) के मामले में, जैसा कि संगत लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखों की सिफारिशों से स्पष्ट है, दिनांक 17 जुलाई, 2018 को एल आई सी आई द्वारा समूह ग्रेच्युटी योजना के वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार भुगतान की देनदारी 25,73,892/– रु. थी। तथापि ई आई आर सी ने वर्ष के दौरान केवल 12,00,000/– रु. की राशि का ही भुगतान किया है। शेष राशि के लिए लेखा बहियों में कोई देयता प्रदान नहीं की गई है।

12. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् (ई आई आर सी) के मामले में जै कि संगत लेखापरीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखों की टिप्पणियों से स्पष्ट है, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 13,34,051/– रु. की कुल विविध कर्जदार राशि में से 11,42,729/–की राशि तीन वर्षों से भी अधिक पुरानी है। लेखा बहियों में संदिग्ध कर्जदारी के रूप में न तो कोई भुगतान और न ही कोई शेष राशि होने की पुष्टि प्रदान की गई है।

13. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) की पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् (डब्ल्यू आई आर सी) के मामले में जैसा कि संगत लेखाकार द्वारा सूचित किया गया है और लेखों की टिप्पणियों और इसकी सिफारिशों से स्पष्ट है कि, 21,58,741/– रु. की प्राप्ति योग्य दावा राशि, जो डब्ल्यू आई आर सी की वर्तमान परिसंपत्ति अनुसूची में डेबिट नोट के संबंध में दिखाई दे रही है, मुख्यालय और कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों के आधार पर है, तथा परिषद् ने अपनी दिनांक 21 जुलाई, 2015 को आयोजित 294वीं परिषद् बैठक में लिया गया है और पूरी तरह से वसूलनीय माना गया है। इसके अतिरिक्त सचिव (कार्यकारी) ने अध्यक्ष, डब्ल्यू आई आर सी को दिनांक 18.01.2019 के पत्र संख्या जीः 142: 01: 2019 में सूचित करते हुए यह कहा है कि :

"लागत और कार्य लेखाकार विनियम, 1959 के विनियम 145क के अनुसरण में और परिषद की 316वीं बैठक में, दिनांक 20/28 सितंबर, 2018 को आयोजित परिषद् की 315वीं बैठक में लिए गए निर्णय के कार्यवृत्त में संशोधन करने के लिए इंस्टीट्यूट की पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् (डब्ल्यू आई आर सी) द्वारा निम्नलिखित अनुदेश अनुपालना के लिए जारी किए जाते हैं। इन अनुदेशों का कोई भी उल्लंघन होने पर लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 और उसके तहत बने नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय परिषद् के कार्यालय कर्मियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

लागत और कार्य लेखाकार विनियम, 1959 के विनियम 145क के अनुसरण में अनुदेश

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) – पश्चिमी परिषद् (डब्ल्यू आई आर सी) द्वारा सी एम ए आशीष थाटे और सी एम ए नीरज जोशी के संबंध में की गई डेबिट टिप्पणी में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है और इन डेबिट टिप्पणियों को एतद्द्वारा निरर्थक निरस्त किया जाता है और आई सी ए आई की डब्ल्यू आई आर सी के लेखों से वापस लिया माना जाता है और साथ ही दिनांक 28 सितंबर, 2018 से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के समेकित खाते से भी वापस लिया माना जाता है।

आई सी ए आई की डब्ल्यू आई आर सी को एतद्द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि अपनी लेखा बहियों में, दिनांक 28 सितंबर, 2018 की स्थिति अनुसार डेबिट टिप्पणियों की निरस्त करने को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रविष्टियां पारित करें और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउटेंट्स रेगुलेशन, 1959 के विनियम 145क के तहत, इस अनुदेश की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर इस अनुपालना की पुष्टि करें।

इस संबंध में डब्ल्यू आई आर सी ने पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् की 298वीं बैठक में मद सं. (3) में यह निर्णय लिया गया था कि :–

"सचिव (कार्यकारी) से धारा 145क के तहत प्राप्त अनुदेशों से संबंधित मामलों पर चर्चा करना और निदेशक (अनुशासन) से धारा 145क के तहत जारी किए गए अनुदेशों के संबंध में उत्तर मांगने के बारे में प्राप्त पत्र पर चर्चा करना।"

प्रारंभ में सी एम ए पी. वी. भट्टड केन्द्रीय परिषद् के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष तथा श्री अजय दास मेहरोत्रा, सरकारी नामिती ने इन मामले से अलग रहने के लिए कहा।

अधिकांश सदस्यों ने यह व्यक्त किया कि जिस तरह से सचिव (कार्यकारी) ने धारा 145क के तहत अनुदेश दिए हैं, उस संबंध में और परिषद् के डेबिट टिप्पणियां वापस लेने के संबंध में निर्णय पर निम्नलिखित मामलों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है :–

1. किस प्रावधान के तहत सचिव (कार्यकारी) द्वारा 7 दिनों का मानक रखा गया और यह किस प्राधिकार से है।

2. विगत 4 वर्षों के वार्षिक लेखों की सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है और ए जी एम में पारित की जाती है तथा साथ ही मुख्यालय के लेखों के साथ समेकन भी किया जाता है और मुख्यालय द्वारा भी लेखा परीक्षा की जाती है और उसे सरकार को प्रेषित किया जाता है, तो इस परिषद् ने डेबिट टिप्पणियों को वापस लेने के लिए परिषद् की किन शक्तियों के तहत ऐसा किया गया है और यह भी पूर्व की दिनांक से है। इसके लिए कानून में आवश्यक प्रावधान विनिर्दिष्ट किए जाएं।

3. क्या डेबिट टिप्पणियों को वापस लेने के लिए धारा 145क के तहत अनुदेश जारी किए जा सकते हैं, जो कि अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लि अनुकूल नहीं कहा जा सकता और न ही यह कार्यों के निर्वहन के लिए अनुकूल है।

मामले के संबंध में सचिव (कार्यकारी) को बैठक में लिए गए निर्णय के विवरण भेजते हुए निपटा दिया गया।

इसकी बीच, सी एम ए नीरज जोशी और सी एम ए आशीष थाटे ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा डब्ल्यू आई आर सी के खिलाफ मुम्बई उच्च न्यायालय में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और आई सी ए आई की डब्ल्यू आई आर सी के खिलाफ 2019 के संदर्भ सं. 6787 के तहत रिट याचिका दाखिल की है और उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लंबित रहते याचिकाकर्ता को खंड (4) के तहत अंतरिम राहत दी है, जिसमें यह कहा गया है, "याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान के लंबित रहते प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जारी दिनांक 13 फरवरी, 2015 की डेबिट टिप्पणी को किसी भी तरह से और किसी भी सीमा तक आदेश देने अथवा प्रचालन करने अथवा कार्यान्वित करने अथवा प्रभावी करने से रोका जाए और ऐसा कोई कदम उठाने अथवा कार्रवाई से रोका जाए जिससे याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इसमें किसी पद अथवा सेवा के लिए चुनाव का अधिकार शामिल है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में याचिका (च) में कहा है, "प्रतिवादियों को दिनांक 13 फरवरी, 2015 की डेबिट टिप्पणी को वर्ष 2018–19 के लिए अथवा याचिका के निपटान तक के खाता बही में शामिल न करने का निदेश दिया जाए, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, परिषद् ने 2010 से 2015 तक की अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा कराने का निर्णय लिया, जिसमें उपरोक्त मामला भी शामिल है, तब तक उपरोक्त मामले पर अंतिम निर्णय सी एंड ए जी की लेखा परीक्षा के बाद लिया जाए।

एफ डी ए पी एल से वसूलनीय दावा राशि 67,30,000/– जो डब्ल्यू आई आर सी की वर्तमान परिसंपत्ति अनुसूची में प्रतीत हो रही है, को भी पूरी तरह से वसूलनीय माना गया है। इसके अलावा, परिषद् ने 2010 से 2015 तक की अवधि के लिए सी एंड ए जी लेखा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, जिसमें उपरोक्त मामला भी शामिल है, तब तक उपरोक्त मामले पर अंतिम निर्णय सी एंड ए जी की लेखा परीक्षा के बाद लिया जाए।

14. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् (एन आई आर सी) के मामले में, जैसा कि संगत लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखों की टिप्पणियों से स्पष्ट है, प्राप्य दावा राशि 41,44,422/– रु. जो वर्तमन परिसंपत्ति/ देयताओं की अनुसूची में दिखाई दे रही है, श्री वीरेन्द्र शर्मा, तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए 6 अक्टूबर, 2015 को आयोजित एन आई आर सी की ई सी बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर दी गई डेबिट टिप्पणी के संबंध में और जिसकी क्षेत्रीय परिषद् की दिनांक 22 सितंबर, 2015, 27 नवंबर, 2015 और 25 मई, 2016 को हुई बैठक द्वारा पुष्टि की गई है।

सदस्यों द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक आम बैठक में लिए गए निर्णय और उसके बाद क्षेत्रीय परिषद् के निर्णय के अनुसरण में, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली में एक वसूली वाद दाखिल किया गया है, जहां पर कि वर्ष 2014–15 के लिए तत्कालीन अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र शर्मा से बकाया 41,44,422/– रु. की वसूली के लिए मामले का न्यायाधिकार है। मामला न्यायाधीन है।

इसके अलावा, आई सी ए आई की इस एन आई आर सी को सचिव (कार्यकारी), आई सी ए आई से दिनांक 18 जनवरी, 2019 के पत्र संख्या जी 142.01.2019 प्राप्त हुआ है, जिसमें परिषद् की 316वीं बैठक में लिए गए एक निर्णय की जानकारी दी गई थी, जिसके तहत श्री विजेन्द्र शर्मा के खिलाफ एन आई आर सी द्वारा 41.44 लाख रुपए के डेबिट नोट को संशोधित करने के लिए क्षेत्रीय परिषद् को अनुदेश जारी किए गए थे।

इस संबंध में क्षेत्रीय परिषद् ने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के मेल के माध्यम से सचिव (कार्यकारी) आई सी ए आई और सभी परिषद् सदस्यों को निम्नलिखित आधार पर इन डेबिट नोट को वापस न लेने के लिए अपने निर्णय के बारे में बताया :

- चूंकि उपरोक्त डेबिट नोट दिनांक 18 जुलाई, 2016 को एन आई आर सी की वार्षिक आम बैठक में पारित और अनुमोदित किया गया था, अतः क्षेत्रीय परिषद् को उसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। मामले को केवल वार्षिक आम बैठक में ही अनुमोदित और पारित किया जाना है।
- डेबिट नोट के संबंध में उपरोक्त मामला न्यायाधीन है और साकेत न्यायालय, नई दिल्ली में एक मामला (गवाह स्तर पर) चल रहा है। चूंकि मामला न्यायाधीन है, इसलिए आर सी एम अथवा कार्यालय कर्मियों को न्यायालय से आदेश पारित होने तक डेबिट नोट को वापस लेने की कोई शक्तियां नहीं है।

इस तथ्य को देखते हुए कि डेबिट नोट को वर्ष 2015–16 में समेकन के माध्यम से केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्वीकार किया गया था और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी दिनांक 9 मई, 2019 की रिपोर्ट में भी इस संबंध में संगत लेखा परीक्षा आपत्तियां का पुनः उल्लेख किया गया है।

विजेन्द्र शर्मा द्वारा डेबिट नोट लाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश संख्या डब्ल्यू पी सी (सी) 6030/2016 के द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2019 को याचिका की वापसी और क्षेत्रीय परिषद् (डेबिट नोट को लाने वाली परिषद्) का निर्णय, वापस लेना, जिसने इस संबंध में इस डेबिट नोट के खिलाफ अपने वसूली वाद को जारी रखने के लिए संकल्प पारित किया गया। एन आई आर सी का यह मत है कि डेबिट नोट के लिए यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है और वापस लेने की आवश्यकता नहीं है।

15. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् (एन आई आर सी) के फरीदाबाद चैप्टर के संबंध में जैसा कि लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है :–

यह पाया गया है कि एक एयर कंडीश्नर, दो कंप्यूटर और दो कंप्यूटर टेबल बैलेंसशीट में दर्शाई गई हैं लेकिन ये चैप्टर के परिसर पर भौतिक सत्यापन करने के लिए नहीं पाई गई क्योंकि ये परिसंपत्तियां वित्त वर्ष 2015–2016 में कुछ भुगतान संबंधी एरियर पर विवाद होने के कारण श्री जयप्रकाश तंवर द्वारा रख ली गई थी।

16. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् (डब्ल्यू आई आर सी) के पुणे के मामले में जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखों की टिप्पणियों से स्पष्ट है, वर्ष के दौरान 375.26 लाख रुपए की राशि का कार्य प्रगति पर है जो भवन निर्माण क्रियाकलाप के अतिरिक्त हैं। इस अतिरिक्त राशि में मुख्यतः सिविल ठेकेदार, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आकस्मिक व्यय शामिल है। कुल परियोजना लागत के लिए 972.90 लाख रुपए (भूमि के लिए 271.99 लाख रुपए और भवन के लिए 700.91 लाख रुपए) पंजीकृत किए गए है और मुख्य कार्यालय को हस्तांतरित किए गए हैं।

तथापि, मुख्य कार्यालय की लेखा बहियों में केवल 709.99 लाख रुपए (भूमि के लिए 271.99 लाख रुपए और भवन के लिए 438 लाख रुपए) 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत किए गए थे।

17. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् (डब्ल्यू आई आर सी) के नाशिक ओझार चैप्टर के संबंध में, जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है :

- <u>कार्यालय संख्या 207 और 208, दूसरा तल, प्रसन्ना आर्केड, नाशिक, 422001</u>.
  संबंधित कार्यालय के लिए दिनांक 10 मई, 2011 और 23 सितंबर, 2013 का विक्रय विलेख इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कोलकाता के नाम से है लेकिन नगरपालिका कर रसीद और बिजली बिल विक्रेता श्री बुराड के नाम से प्राप्त हुए हैं, जो कि बालाजी शेयर एंड शोपी इन्वेंस्टमेंट लिमि. (विक्रेता) के निदेशकों में था।

- <u>कार्यालय संख्या 308, 309 और 310, तीसरा तल, प्रसन्ना आर्केड, नाशिक, 422001</u>.
  दिनांक 18 दिसंबर, 2010 का विक्रय विलेख कॉस्ट एकाउंटेट्स नाशिक ओझर चैप्टर के नाम से है।

18. कोचीन चैप्टर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद् (एस आई आर सी) के कोचीन चैप्टर के मामले में, जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है :–

- चालिककेवटोम, ग्रामीण व्यायामशाला रोड, वितिल्ला एर्नाकुलम स्थित भवन के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान खर्च की गई 25,26,967/– रुपए की राशि "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष के तहत दर्शाई गई है, यद्यपि यह दिनांक 1 मई, 2016 को हर तरह से पूर्ण हो गया है (जो कि नई बिल्डिंग के उद्घाटन की तारीख थी)।
- ठेकेदारों को काफी समय से लंबित देय राशि : 10,14,789/– रुपए विभिन्न ठेकेदारों को बितिल्ला में स्थित भवन के निर्माण के लिए देय है, जिसका निपटान नहीं हुआ है।
- आई सी डब्ल्यू ए आई कोचीन चैप्टर के भूमि कर का भुगतान वर्ष 1992 में भूमि की खरीद के वर्ष से लंबित है।

मामले का बल

हम संस्थान के वित्तीय विवरणों पर निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिन पर हमारे द्वारा बल दिए जाने की जरूरत है। हमारा मत इन मामलों के संबंध में योग्य नहीं है।

1. दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,29,69,692/– रु. की राशि जी एस टी इनपुट क्रेडिट शेष राशि आय और व्यय लेखा में प्रभारित की गई है।

2. संस्थान ने दिनांक 21 जुलाई, 2019 की परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत, 1,29,51,987/– रुपए की प्राप्य राशि का दावा (एन आई आर एल 41,44,422/– रु. और डब्ल्यू आई आर सी 88,07,565/– रु.) बट्टे खाते में डाला गया है, जिसमें उस संबंध में प्राप्य दावे और अन्य देयताओं में कमी आई है। यह राशि एन आई आर सी और डब्ल्यू आई आर सी के व्यक्तिगत खातों में नहीं दर्शाई गई है।

3. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् (ई आई आर सी) के मामले में शिकायत संख्या कॉम/21–सी डब्ल्यू ए (9) 2020 में अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी 27 मई, 2015 के आदेश द्वारा लागत एवं कर लेखाकार (वृतिक एवं अन्य अवचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2007 के नियम 19(1) के साथ पठित सी डब्ल्यू ए अधिनियम, 1959 की धारा 231ख (3) के अनुसार सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश दिए गए थे :

   - "सदस्य की प्रताड़ना
   - आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर संस्थान की ई आई आर सी को दी जाने वाली 64,461/– रुपए की पूरी राशि तथा जुर्माने की समतुल्य राशि का पुनर्भुगतान
   - आदेश देने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्य के रजिस्टर से नाम हटाना"

   तदनुसार, 1,22,922/– रुपए संबंधित व्यक्ति से वसूल किए जाने थे। भारत के लागत एवं लेखाकार संस्थान के अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई थी और उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम की धारा 22(ङ) की उप धारा (1) के खंड (ग) के तहत इस उपर्युक्त प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 09/04/18 के द्वारा उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने उस निर्देशों के पूरा होने तक संस्थान की अनुशासनिक समिति द्वारा जारी अनुचित आदेश के प्रचालन को स्थगित कर दिया गया है जिनके लिए मामला आदेश दिनांक 09/04/2018 के पैरा (12) के तहत उल्लिखित प्रयोजन के लिए और नया आदेश जारी करने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु भारत के लागत लेखाकार संस्थान की अनुशासनिक समिति को भेजा जा रहा है।

4. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् (ई आई आर सी) के मामले में, जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखों की टिप्पणियों से स्पष्ट है, ई आई आर सी को वर्ष के दौरान पट्टा किराया के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक से 41,98,369/– रु. की कुल राशि प्राप्त हुई है, जो कि 1 जनवरी, 2013 से लंबित थी। भारतीय स्टेट बैंक से पूरा ब्यौरा उपलब्ध न होने के कारण धनराशि निम्नलिखित तरीके से रखी गई है :–

विवरण	**धनराशि (रु.)**
अवधि से पूर्व की मदें	37,68,426
प्राप्त किराया	4,33,208
अन्य मदें	2,78,520
उप जोड़	**44,80,154**
घटाएं : टी डी एस	1,91,785
कुल	**41,98,369**

किराया आय पर जी एस टी देयताओं की गणना की जा रही है।

5. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् (ई आई आर सी) के मामले में, जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखों की टिप्पणियों से स्पष्ट है, "अन्य अग्रिम राशि" शीर्ष के तहत 13,10,101/– रु. की धनराशि तीन वर्षों से अधिक समय से बिना समायोजित किए पड़ी है चूंकि विगत कुछ वर्षों के दौरान नियमित रूप से अनुसरण की कार्रवाई करते रहने के बावजूद कोई भी वसूली प्रभावी नहीं हो सकी जिसके लिए आवश्यक प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

संस्थान का प्रबंधन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेवार है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकद प्रवाह का सही एवं उचित दृष्टिकोण बताते हैं। इस जिम्मेवारी में संस्थान की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रख–रखाव तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा उनका पता लगाना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेना और आकलन करना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन तथा रख–रखाव, जो सही एवं उचित दृष्टिकोण बताने वाले वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुति से संगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से

प्रचालित हो रहे थे और वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी से हो रहे थे अथवा चूक से हो रहे थे, शामिल हैं। प्रबंधन एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने में संस्था की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी संस्थान से संबंधित यथा लागू मामलों को प्रकट करने और लाभकारी संस्था का लेखांकन के आधार पर तब तक उपयोग करने, जब तक कि प्रबंधक संस्था का परिसमापन करने का इच्छुक न हो अथवा उसका प्रचालन बंद हो, अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई अन्य उचित विकल्प नहीं हों, जिम्मेदार हैं। जो शासन के संरक्षण में हैं, वे संस्था की वित्तीय सूचना प्रक्रिया को नजरअंदाज करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात के लिए तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत बयानी से युक्त हैं तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हैं और लेखा परीक्षक की ऐसी रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एंड उच्चस्तरीय आश्वासन हैं लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार आयोजित कोई लेखा परीक्षा यदि कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी मौजूद हो तो उसका हमेशा ही पता लगा लेती है। गलत बयानी धोखाधड़ी अथवा चूक से हो सकती है और वह महत्वपूर्ण समझी जाती है, यदि अलग अलग अथवा समग्र रूप से वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी तर्कसंगत संभावना हो सकती है।

लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय प्रदान करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बना कर रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा चूक के कारक हों, ऐसे जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया का निष्पादन करते हैं और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, जो धोखाधड़ी से है, चूक के परिणामस्वरूप जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिली भगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रिया के लिए, जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हो, लेखा परीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और लेखांकन अनुमानों का तर्कसंगत होना और प्रबंधन द्वारा किए गए संगत प्रकटीकरण करना।
- समग्र प्रस्तुति, संरचना और वित्तीय विवरणों के अंश का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण शामिल है और क्या वित्तीय विवरणों में विशिष्ट लेन देन और आयोजन इस ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं कि वह उचित प्रस्तुति है।

हमने शासन को अन्य मामलों के बीच लेखा परीक्षा की योजना का दायरा और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष प्रदान किए हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसकी हमने हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है।

हम शासन को ऐसा विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने निष्पक्ष नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उनके साथ सभी संबंध तथा ऐसे अन्य मामलों, जो हमारी निष्पक्षता और जहां लागू हो, संगत संरक्षा संसूचित करते हैं।

<u>अन्य मुद्दे</u>

1. **<u>पूंजीगत कार्य प्रगति पर</u>**

ऐसे प्रगति पर पूंजीगत कार्य लंबित हैं, जिनके लिए संस्थान द्वारा एक विचारणीय समय अवधि के लिए आगे कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिनकी सूची नीचे दी गई हैं :

विवरण	धनराशि (रु.)	कब से लंबित/ अभियुक्ति
उत्कृष्टता केन्द्र अजमेर	62,28,800	2010 से पूर्व
जयपुर चैप्टर	30,11,000	2016 के बाद से कोई कार्य नहीं पाया गया
हैदराबाद उत्कृष्टता केन्द्र	10,37,781	वर्ष 2015 में एच सी ई बिल्डिंग में फायर हाइड्रेट और स्प्रिंकलर सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापना की लागत के कारण व्यय हुई धनराशि को दर्शाता है।
जयपुर उत्कृष्टता केन्द्र	62,962	दिनांक 31/03/2017 को डोलफिन इंजीनियर को मृदा जांच के लिए भुगतान किया गया। उसके बाद से अब तक कोई अन्य कार्य नहीं किया गया है।
नवी मुम्बई उकृष्टता केन्द्र	4,99,78,350	दिनांक 13 जुलाई, 2016 को अंतिम राशि 524750/– रुपए भुगतान की गई थी और 17 अगस्त, 2016 को गुलराज निर्माण के लिए 22400/– रुपए का भुगतान किया गया। तथापि, आर्बिट्रेशन याचिका (एस टी) 7232/2017 के तहत बाम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष वाद लंबित है।

2. संस्थान ने पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के समय जी एस टी इनपुट क्रेडिट लिया है, जिसके कारण पूंजीगत परिसंपत्तियों के सकल बही मूल्य में कमी हो रही है और ऐसा जी एस टी इनपुट क्रेडिट लेखों में बट्टे खाते में डाला गया है।

3. वित्तीय विवरणों में 88 चैप्टरों के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनमें 7 चैप्टरों के लेखे भी शामिल हैं, जिनके लिए हमें लेखा परीक्षित लेखें प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनमें 112.19 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां दर्शाई गई हैं और 24.78 करोड़ रुपए का राजस्व (प्रतिपूर्ति सहित), अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं, जिनकी नियुक्ति संबंधित क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के शासी निकाय द्वारा आई सी डब्ल्यू ए विनियम, 1959 में विनियम 133 इंस्टीट्यूट के चैप्टर उप नियम के खंड 26 के अनुसार की गई है, जिसकी रिपोर्ट संस्थान के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है। इन उपरोक्त 7 चैप्टरों में 2.95 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां और 0.87 करोड़ रुपए का राजस्व दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए संस्थान के समेकित वित्तीय विवरणों में 11 चैप्टरों के लेखे शामिल नहीं हैं क्योंकि उनके स्तर पर कोई लेखा नहीं रखा गया।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए संस्थान के समेकित वित्तीय विवरणों में 81 लेखा परीक्षित चैप्टर शामिल हैं, जिनमें से 20 चैप्टरों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की गई थी और 61 चैप्टरों की लेखा परीक्षा लागत लेखाकारों द्वारा की गई थी।

4. संस्थान में अपनी पाठ्यक्रम की वस्तु सूची का पुराना स्टॉक है और 38,73,847/– रु. की कम्पेक्ट डिस्क जो 2012 से पूर्व की है इस वर्ष के दौरान यह राशि बट्टे खाते में डाली गई है।

5. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् (एन आई आर सी) के मामले में, जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है और लेखा टिप्पणियों से स्पष्ट है, परिषद पर 1,85,500/– रु. की बकाया कर की मांग है। चूंकि एन आई आर सी आयकर प्राधिकारियों के साथ मामले को उठा रहा है, दंड ब्याज के संबंध में बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो कि देय हो। एन आई आर सी का यह मत है कि ऐसी मांग वैध नहीं हो सकती क्योंकि उसे ठीक करने की जरूरत है और आयकर विभाग के साथ अनुवर्तन कर रहा है यद्यपि बकाया मांग के लिए प्रावधान/ समायोजन लेखा बहियों में किया गया है।

उपर्युक्त के अध्यधीन हम रिपोर्ट देते हैं कि :

(क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार कुछ छोटे चैप्टरों के मामलों को छोड़कर हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में कानूनन अपेक्षित समुचित लेखा बहियां इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट है (और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से क्षेत्रों और जिन चैप्टरों का हमने दौरा नहीं किया है, जब तक कि उपरोक्त बिन्दु 3 में अन्यथा न कहा जाए वहां से समुचित रिटर्न प्राप्त हो गए हैं) ;

(ग) संबंधित क्षेत्रों और चैप्टरों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित, संस्थान के क्षेत्रीय और चैप्टर कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट जैसा हमें प्राप्त हुई थी, इस रिपोर्ट को तैयार करने में समुचित विचार किया गया है।

(घ) उपरोक्त पैरा में हमारे मत के लिए आधार में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन हम रिपोर्ट देते हैं किं तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण क्षेत्रों व जिन चैप्टरों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त लेखा बहियों और रिटर्न के अनुसार है।

कृते बी एम चत्रथ एंड कं. एल एल पी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफ आर एनः 301011ई/ ई00025

तारीखः 07.08.2019

स्थान : कोलकाता

सी ए संजय सरकार

भागीदार

सदस्यता संख्याः 064305

यू डी आई एन : 19064305एएएएएएल5490

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

विगत वर्ष 2017–18 रु.	विवरण	अनसूची सं.	वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.	रु.
	संस्थान निधि :			
2,732,861,414	सामान्य निधि	**(1)**		2,906,564,207
1,454,430	कर्मचारी उपदान निधि	**(2)**		1,815,482
8,375,218	विविध पुरस्कार निधि	**(3)**		8,577,189
12,963,634	अन्य निधि	**(4)**		27,574,582
2,755,654,696	**कुल**			**2,944,531,460**
	द्वारा दर्शाई गईं :			
	अचल परिसंपत्तियां	**(5)**		
1,150,736,244	(क) सकल ब्लॉक		1,195,990,540	
483,259,364	(ख) मूल्यह्रास घटाएं		529,702,291	
667,476,880	(ग) निवल ब्लॉक			666,288,249
134,801,939	चल रहा पूंजी कार्य			83,123,206
110,050,750	निवेश	**(6)**		111,150,750
2,057,910,663	वर्तमान परिसंपत्ति	**(7)**	2,335,543,088	
56,919,417	ऋण एवं अग्रिम	**(8)**	49,287,461	
2,114,830,080			**2,384,830,549**	
271,504,953	घटाएं : वर्तमान देयताएं और प्रावधान	**(9)**	300,861,294	
1,843,325,127	**निवल वर्तमान परिसंपत्ति**			2,083,969,255
2,755,654,696	**कुल**			**2,944,531,460**
	लेखों पर टिप्पणियां	**16**		
उपर्युक्त रूप में उल्लिखित अनुसूचियां लेखों के भाग हैं				

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **बी एम चत्रथ एंड कं. एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजी. सं.: 301011ई/ई300025

सीएमए सोमा बनर्जी
विभाग अध्यक्ष (वित्त)

सीएमए एल. गुरूमूर्ति
सचिव (कार्यकारी)

सीएमए बलविंदर सिंह
उपाध्यक्ष

सीएमए अमित आनंद आप्टे
अध्यक्ष

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 21/07/2019

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया			
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए			
आय और व्यय का लेखा			
विगत वर्ष 2017–18 रु.	विवरण	अनु. सं.	वर्तमान वर्ष 2018–19
	आय :		
42,989,740	सदस्यता एवं अन्य शुल्क	**(10)**	47,381,067
509,972,043	शिक्षण एवं अन्य शुल्क	**(11)**	651,303,460
158,400,672	परीक्षा एवं अन्य शुल्क	**(12)**	164,553,505
32,399,883	सी पी डी एवं अन्य कार्यक्रम शुल्क		25,437,450
1,094,290	पत्रिका के अंशदान के लिए विज्ञापन सहित		770,504
1,178,115	प्रकाशन की बिक्री		872,270
131,210,694	ब्याज		147,912,045
6,933,423	अन्य आय		9,579,256
884,178,860	**कुल:**		**1,047,809,557**
	व्यय:		
244,157,970	स्थापना	**(13)**	223,781,686
110,795,802	कार्यालय व्यय	**(14)**	133,963,700
1,622,892	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क		1,690,365
14,406,034	यात्रा एवं वाहन		16,151,166
96,375,805	परीक्षा व्यय	**(15)**	98,846,173
25,323,823	परिषद् एवं समिति की बैठकों का व्यय		27,055,484
280,438	ट्रिब्यूनल सहित चुनाव का खर्च		140,836
4,889,018	पत्रिका व्यय		8,729,687
11,161,507	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		5,562,372
3,022,304	सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकें		7,490,782
31,311,358	सी. पी. डी. तकनीकी कौशल विकास एवं अन्य कार्यक्रम व्यय	**(16)**	38,567,088
14,942,939	व्यावसायिक विकास व्यय		13,499,062
110,287,790	कोचिंग व्यय		127,057,527
25,503,476	अध्ययन सामग्रियों एवं विवरणों की खपत		33,800,037
567,606	प्रकाशन सामग्री की खपत		217,160
12,257,836	बट्टे – खाते में डाली गई अन्य परिसंपत्तियां (स्टॉक एवं देनदार)		6,179,406
57,827,743	मूल्यह्रास	**(5)**	54,079,724

764,734,341	**कुल**		**796,812,255**
119,444,519	**व्यय से अधिक आय होने के कारण आधिक्य शेष राशि जो आगे ले जाई गई है**		**250,997,302**
(5,053,508)	अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	**(14 क)**	(258,479)
114,391,011	**सामान्य निधि में अंतरित व्यय का अधिशेष/ (घाटा) होने केनाते शेष**		**250,738,823**
उपर्युक्त रूप में उल्लिखित अनुसूचियां लेखों के भाग हैं			

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **बी एम चत्रथ एंड कं. एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजी. सं.: 301011ई/ई300025
सीएमए बलविंदर सिंह
उपाध्यक्ष

सीएमए सोमा बनर्जी
विभाग अध्यक्ष (वित्त)

सीएमए एल. गुरूमूर्ति
सचिव (कार्यकारी)

सीएमए अमित आनंद आप्टे
अध्यक्ष

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 21/07/2019

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

लेखों के भाग स्वरूप अनुसूची

	अनुसूची सं. 1 :	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सामान्य निधि	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	**विवरण**	**वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.**
2,615,711,488	पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार शेष	**2,732,861,414**
	जोड़े :	
-	i) चेप्टर की भूमि और भवन का पंजीकरण	27,199,275
-	ii) लाइब्रेरी निधि से हस्तांतरण	-
2,615,711,488		**2,760,060,689**
2,615,711,488		**2,760,060,689**
-	घटाएं : पुणे की भूमि और भवन के लिए समायोजन	97,290,297
	घटाएं : सदस्य हितकारी निधि को स्थानांतरित	10,000,000
	घटाएं : 57वें एनसीसी शेष का समायोजन	455,000
2,758,915	जोड़े : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	3,509,992

2,618,470,403		**2,655,825,384**
114,391,011	जोड़े : आय और व्यय लेखे के अनुसार वर्ष के लिए निवल अधिशेष	250,738,823
2,732,861,414	**कुल**	**2,906,564,207**
	अनुसूची सं. 2 :	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी उपदान निधि	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	**विवरण**	**वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.**
1,127,361	पूर्ववर्ती तुलनपत्र के अनुसार शेष	**1,454,430**
270,024	जोड़े : वर्ष के लिए अंशदान	296,209
1,397,385		**1,750,639**
57,045	जोड़ें : वर्ष के लिए निधि की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	74,013
-	घटाएं : वर्ष के दौरान कर्मचारियों को प्रदत्त उपदान	9,170
1,454,430	**कुल**	**1,815,482**
	अनुसूची सं. 3 :	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विविध पुरस्कार निधि	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	**विवरण**	**वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.**
7,954,857	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**8,375,218**
241,461	जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	64,549
255,302	जोड़े : वर्ष के दौरान हुई आय	262,616
(76,402)	घटाएं : पुरस्कार की लागत	(125,194)
8,375,218	**कुल**	**8,577,189**
	अनुसूची सं. 4 :	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अन्य निधि	
546,134	भवन निधि	110,598
62,961	पुस्तकालय निधि	22,800
12,354,539	विविध निधि	27,441,184
12,963,634	**कुल**	**27,574,582**

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

लेखाओं के भाग स्वरूप अनुसूची

अनुसूची सं. 5 :

21 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास/ परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.18 को प्रारंभिक लागत	अवधि के दौरान अभिवृद्धि	घटाएं : अवधि के दौरान अचल परिसंपत्तियों की बिक्री / समायोजन	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कुल	01.04.2018 तक	वर्ष के लिए	जोड़ें/ घटाएं : वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2019 तक	इस वर्ष 2018-19	विगत वर्ष 2017-18
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
मूर्त परिसंपत्तियां:										
फ्रीहोल्ड भूमि	160,793,820	27,199,275	(27,199,275)	160,793,820	-	-		-	160,793,820	160,793,820
लीज होल्ड भूमि	64,484,501			64,484,501	7,189,785	832,057		8,021,842	56,462,659	57,294,716
फ्रीहोल्ड भवन	623,571,813	43,462,562	-	667,034,375	277,494,634	36,854,021	(1,264,068)	313,084,587	353,949,788	346,077,179
फर्नीचर और फिटिंग्स	76,272,746	1,279,346		77,552,092	35,587,421	4,293,093	(1,132,266)	38,748,248	38,803,844	40,685,325
पुस्तकालय की पुस्तकें	13,328,281	9,226	1,693,579	11,643,928	12,902,330	305,066	(1,980,868)	11,226,528	417,400	425,951
कार्यालय उपस्कर	86,952,956	65,167	(737,732)	86,280,391	45,621,565	6,469,957	(2,477,923)	49,613,599	36,666,792	41,331,391
जेनरेटर्स	15,096,972	949,392	-	16,046,364	7,465,500	1,237,223	25,701	8,728,424	7,317,940	7,631,472
लिफ्ट	14,063,133	-		14,063,133	6,256,938	1,170,929		7,427,867	6,635,266	7,806,195
मोटर कार	536,116	204,387		740,503	444,808	26,520	118,892	590,220	150,283	91,308
कंप्यूटर	54,523,080	1,541,355		56,064,435	52,046,393	1,676,189	(882,437)	52,840,145	3,224,290	2,476,687
साइकिल	8,368			8,368	8,368			8,368	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियां :										
सॉफ्टवेयर	41,104,458	174,172		41,278,630	38,241,622	1,214,669	(43,828)	39,412,463	1,866,167	2,862,836
	1,150,736,244	**74,884,882**	**(26,243,428)**	**1,195,990,540**	**483,259,364**	**54,079,724**	**(7,636,797)**	**529,702,291**	**666,288,249**	**667,476,880**
विगत वर्ष	**1,150,736,244**	**82,392,314**	**(5,122,076)**	**1,228,006,482**	**370,773,369**	**69,054,319**	**(10,898,095)**	**428,929,593**	**716,164,737**	**697,050,723**
पूंजीगत कार्य प्रगति पर									**83,123,206**	**134,801,939**

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

लेखाओं के भाग स्वरूप अनुसूची

अनुसूची सं. 6 :

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निवेश (लागत पर)

विगत वर्ष 2017–18 रु.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.
	सरकारी न्यास के शेयर :	
500	10 रु. प्रत्येक के 50 शेयर सहित चैम्बर प्रेमिसेंस कोःआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई (पूर्व में जय बृंदावन प्रीमिसिस ट्रस्ट फंड, बाम्बे के रूप में वर्णित)	500
110,000,000	आई सी ए आई के दिवालिया व्यवसायिक एजेंसी में निवेश	110,000,000
	(10 रु. प्रत्येक के प्रदत्त शेयर की संख्या 1,10,00,000)	
	आर वी ओ में निवेश	1,100,000
50,250	- अन्य	50,250
110,050,750	**कुल**	**111,150,750**

	अनुसूची सं. 7 :		
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियां		
विगत वर्ष 2017–18 रु.	विवरण		वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.
		रु.	
	स्टॉक :		
1,906,264	- प्रकाशन स्टॉक (लागत पर)		2,471,199
5,765	- पेपर स्टॉक (लागत पर)		6,980
11,550,850	- विवरणिका स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री (लागत पर)		4,346,437
1,830,905	- अन्य सामग्री का स्टॉक (लागत पर)		1,800,661
32,534,495	**विविध कर्जदार**	42,212,546	
-	घटाएं : संदेहास्पद कर्जदारों के लिए प्रावधान	-	42,212,546
74,458,426	**अन्य प्राप्तव्य**		79,287,401
	नकदी और बैंक शेष :		
1,139,843	नकदी हाथ में		1,125,674
	अनुसूचित बैकों के पास शेष :		
91,923,814	चालू खातें में		109,870,442
45,592,290	बचत खाते में	-	52,163,099
1,796,968,011	**बैंकों के पास सावधि जमा:**		2,042,258,649
2,057,910,663	कुल		**2,335,543,088**

	अनुसूची सं. 8 :	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ऋण और अग्रिम	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.
20,946,264	अन्य अग्रिम	9,150,288
510,925	कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम	303,695
3,586,019	विदेशी निकायों को अग्रिम सदस्यता अंशदान	-
24,774,496	टी डी एस प्राप्ति	32,668,069
1,461,610	पूर्व प्रदत्त खर्च	1,700,631
5,640,103	जमा	5,464,778
56,919,417	**कुल**	**49,287,461**
	अनुसूची सं. 9 :	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	**विवरण**	**वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.**
	वर्तमान देयताएं :	
3,180,858	लाइब्रेरी जमा	2,278,701
52,009,990	विविध ऋण	43,652,760
40,408,071	आर सी एवं चैप्टर के पास चालू खाता	53,917,615
155,536,793	अन्य देनदारियां	185,785,997
5,311,945	टी डी एस देय	6,147,994
15,057,296	प्रावधान	9,078,227
271,504,953	**कुल**	**300,861,294**

	अनुसूची सं. 10 :	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यता और अन्य शुल्क	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	**विवरण**	**वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.**
34,532,979	वार्षिक सदस्यता शुल्क	38,952,486
7,055,770	सदस्यों का कार्य प्रमाण पत्र शुल्क	8,206,267
9,600	ग्रेड सी. डब्ल्यू ए. शुल्क	-
401,192	सदस्यों की शिकायत/ बहाली शुल्क/ नामांकन शुल्क	92,370
500	प्रमाणित सुविधा केन्द्र शुल्क	-
971,684	सदस्यता और प्रमाणन शुल्क – आई एम ए (यू एस ए)	83,324
18,015	बेहतर स्थिति प्रमाण पत्र	46,620
42,989,740	**कुल**	**47,381,067**
	अनुसूची सं. 11 :	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए शिक्षण और अन्य शुल्क	
2017–18 रु.	**विवरण**	**2018–19 रु.**
21,181,000	छात्रों का पंजीकरण शुल्क	23,305,560
5,340,000	प्रायोगिक प्रशिक्षण पंजीकरण शुल्क	7,328,000
3,388,234	व्यावहारिक प्रशिक्षण/ विषय छूट शुल्क	6,796,512
416,904,223	शिक्षण शुल्क	566,607,979
46,535,559	कैट कोर्स आय	33,251,426
7,837,661	कोचिंग पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र का पुनः वैधीकरण शुल्क	8,363,400
3,408,926	विवरणिका की बिक्री	3,820,935
5,374,940	अध्ययन नोट्स की बिक्री	1,791,148
1,500	डाक, कोचिंग, पुनर्वैधीकरण एवं नए सिरे से फार्मों की बिकी	38,500
509,972,043	**कुल**	**651,303,460**
	अनुसूची सं. 12 :	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षा और अन्य शुल्क	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	**विवरण**	**वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.**
154,249,803	परीक्षा शुल्क	158,891,616
4,147,569	उत्तर पत्रों की जांच के लिए शुल्क	5,658,389
-	स्केनर सहित सुझावित उत्तर की बिक्री	-
3,300	परीक्षा प्रपत्रों की बिक्री	3,500
158,400,672	**कुल**	**164,553,505**
	अनुसूची सं. 13 :	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्थापना	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	**विवरण**	**वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.**
187,134,485	वेतन और भत्ते	185,326,499
19,188,415	कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड के लिए नियोक्ता का अंशदान	3,511,457
16,618,315	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	16,151,102
2,480	कर्मचारी हितकारी निधि में नियोक्ता का अंशदान	2,016
5,389,412	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण में नियोक्ता का अंशदान	3,355,262
4,761,026	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण–विद्यमान	5,519,942
5,932,796	चिकित्सा व्यय	5,683,331
348,697	कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता	1,094,490
1,364,245	आर पी एफ सी प्रशासन और ई डी एल आई निरीक्षण प्रभार	1,025,603
3,418,099	प्रशिक्षण और विकास (एच आर डी)	2,111,984
244,157,970	**कुल**	**223,781,686**

	अनुसूची सं. 14 :	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कार्यालय व्यय	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.
6,494,059	मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	6,658,065
8,369,158	डाक, तार, दूरभाष और फैक्स	7,573,571
1,444,520	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1,764,655
10,052,382	विद्युत प्रभार	10,991,630
200,310	जेनेरेटर व्यय	258,883
2,547,020	दरें और कर	2,525,917
385,380	बीमा	306,746
9,226,142	मरम्मत और रख–रखाव व्यय	9,135,454
1,378,755	कार व्यय	1,734,767
10,720	जमानती जमा पर ब्याज	12,570
2,462,439	विधिक प्रभार	5,462,614
277,266	बैंक प्रभार	372,082
5,617,145	कंप्यूटर रख–रखाव व्यय	4,908,484
2,170,787	जन संपर्क व्यय	2,292,478
1,965,035	देखरेख संबंधी व्यय	2,495,251
452,305	पुस्तक एवं पत्रिकाएं	654,803
196,651	शिष्टमंडल शुल्क	385,614
318,775	राजपत्र अधिसूचना	478,910
2,485,050	कर्मचारी कल्याण	1,598,960
8,062,175	किराया	6,880,611
42,130,884	प्रशासनिक प्रभार	59,845,123
4,548,844	विविध व्यय	7,626,512
110,795,802	**कुल**	**133,963,700**
	अनुसूची सं. 15 :	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षण व्यय	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.
25,783,079	परीक्षा व्यय	28,340,983
42,086,591	परीक्षक का पारिश्रमिक	40,455,241
26,878,405	परीक्षा केन्द्र व्यय	25,839,234
421,663	मौखिक कोचिंग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा व्यय	798,789
1,206,067	पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण व्यय	3,411,926
96,375,805	**कुल**	**98,846,173**
	अनुसूची सं. 16 :	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सीपीडी कार्यक्रम व्यय एवं तकनीकी कौशल	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.
8,406,983	सीपीडी व्यय	7,985,781
5,132	परियोजना व्यय	715,169
3,145,786	सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कार सहित राष्ट्रीय पुरस्कार	6,912,746
8,521,946	क्षेत्रीय लागत/राष्ट्रीय सम्मेलन व्यय	9,759,392
10,836,098	सीपीडी व्यय.– आरसी/चैप्टर	11,177,364
395,413	त्कनीकी कौशल विकास	2,016,636
31,311,358	**कुल**	**38,567,088**

	अनुसूची सं. 14क :	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अवधि से पूर्व का समायोजन	
विगत वर्ष 2017–18 रु.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.
	अवधि से पूर्व की आय	
102,829	मुख्यालय	104,047
-	डब्ल्यू आई आर सी	-
-	ई आई आर सी	3,768,426
268,850	एन आई आर सी	335,157
55,554	डब्ल्यू आई आर सी के चैप्टर	91,925
-	एस आई आर सी के चैप्टर	1,203,815
-	ई आई आर सी के चैप्टर	-
82,951	एन आई आर सी के चैप्टर	10,100
510,184	**कुल (क)**	**5,513,470**
	अवधि के पूर्व के व्यय	
3,623,676	मुख्यालय	3,514,329
1,232,993	ई आई आर सी	1,041,608
354,885	एन आई आर सी	770,573
63,933	डब्ल्यू आई आर सी के चैप्टर	263,345
162,080	एस आई आर सी के चैप्टर	129,644
	ई आई आर सी के चैप्टर	
126,125	एन आई आर सी के चैप्टर	52,450
5,563,692	कुल (ख)	**5,771,949**
(5,053,508)	**अवधि से पूर्व का समायोजन (क–ख)**	**(258,479)**

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया			
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार नकद प्रवाह विवरण			
विगत वर्ष 2017–18 रु.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2018–19 रु.	रु.
	प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
40,256,837	कराधान से पूर्व निवल अधिशेष एवं असाधारण मद	250,738,823	
69,054,319	जोड़ें : मूल्यह्रास	54,079,724	
109,311,156	**कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन अधिशेष**	**304,818,547**	
18,433,643	चालू देनदारियों में वृद्धि	29,356,341	
(20,610,209)	चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि	206,563	
39,043,852		**29,149,778**	
148,355,008	**प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी**		**333,968,325**
	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
38,457,865	सावधि परिसंपत्तियों की खरीद	(6,424,437)	
111,050,250	निवेश में कमी	1,100,000	
149,508,115	**निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी**		**(5,324,437)**

	वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
1,771,609	पूंजी में वृद्धि	(69,498,856)	
1,771,609	**वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी**		(69,498,856)
618,502	**नकदी और नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि**		**269,793,906**
1,763,397,987	जोड़ें – अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		1,935,623,958
1,764,016,489	**दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसाद नकदी और नकदी समतुल्य**		**2,205,417,864**
1,139,843	नकदी	1,125,674	
1,796,968,011	सवधि जमा	2,042,258,649	
91,923,814	बैंक में शेष – चालू खाता	109,870,442	
45,592,290	बैंक में शेष – बचत खाता	52,163,099	
1,935,623,958		**2,205,417,864**	

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के भाग स्वरूप टिप्पणियां

अनुसूची–17

क. प्रमुख लेखांकन नीतियां :

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा, लागू लेखा मानकों, यथा संशोधित लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 के संगत प्रावधानों के अधीन तैयार किया गया है और जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया जाता है।

2. समेकन का आधार

मुख्यालय (कोलकाता) और नई दिल्ली कार्यालय एवं उसकी चार क्षेत्रीय परिषदों तथा अठासी चेप्टरों के वित्तीय विवरणों का समेकन समस्त वास्तविक अंतरा समूह शेष राशि और अंतरा समूह लेन देनों, तथा परिणामस्वरूप अप्राप्त अधिशेष/घाटे को समाप्त करने के बाद परिसंपत्तियां और देयताएं, आय और व्यय की समान मदों के खाता मूल्य को जोड़कर किया जाता है। आवश्यक समायोजन जहां भी अपेक्षित होता है, किए जाते हैं।

3. प्रवेश शुल्क

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत किया जाता है।

4. पंजीकरण शुल्क

विद्यार्थियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क को, जैसे ही विद्यार्थी नामांकित होता है, राजस्व आय के रूप में माना जाता है।

5. राजस्व को मान्यता देना

संस्थान आय की महत्वपूर्ण मदों को निम्नलिखित आधार पर स्वीकार करता है:.

क) सदस्यों का अंशदान

सदस्यों का अंशदान उस वर्ष में माना जाता है, जिस वर्ष का वह अंशदान हो।

ख) शिक्षण और अन्य शुल्क

डाक और मौखिक शिक्षण शुल्क के संबंध में राजस्व को छात्र के नामांकित होने पर ही स्वीकार किया जाता है।

ग) प्रकाशन की बिक्री

प्रकाशनों की बिक्री के संबंध में राजस्व को तब मान्यता दी जाती है, जब ऐसे प्रकाशनों को किसी कीमत पर प्रयोक्ता को हस्तांतरित किया जाए।

घ) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क उस संबंधित अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि का वह होता है।

ड.) अन्य

कार्यक्रम शुल्क से प्राप्त राजस्व को कार्यकलाप किए जाने पर ही मान्यता दी जाती है।

च) ब्याज

बैंकों में सावधि जमा राशि पर देय वर्ष के लिए ब्याज से प्राप्त आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

छ) निवेशों से आय को तभी स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाए।

6. व्यय

व्यय को निम्नलिखित मामलों को छोड़कर डाक और मौखिक कोचिंग से संबंधित खर्चों सहित प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है:–

(i) चैप्टरों से संबंधित वार्षिक अनुदान को संवितरित किए जाने पर मान्यता दी जाती है।

(ii) चुनाव पर होने वाले खर्च को उस वित्तीय वर्ष में स्वीकार किया जाता है जिसमें वह खर्च हुआ हो।

7. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास को घटाकर उल्लिखित किया जाता है। लागत में खरीद कीमत और परिसंपत्ति को उसके प्रत्याशित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए वहन की गई कोई भी अन्य लागत शामिल होती है। सृजित की जा रही परिसंपत्तियों को पूंजीगत चल रहे कार्यों के रूप में दर्शाया जाता है।

8. मूल्यह्रास/परिशोधन :

(क) अचल परिसंपत्तियों संबंधी मूल्यह्रास को आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार अवलिखित मूल्य पद्धति पर दर्शाया जाता है ।

(ख) पट्टे कर भूमि का बही मूल्य उस पर प्रदत्त प्रीमियम सहित पट्टा–अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। भूमि का किराया, यदि कोई हो, तो उसको उस वर्ष के खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस वर्ष के लिए ऐसे प्रभार बकाया या देय हों।

(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों में खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत का मूल्यह्रास होता है।

9. निवेश

दीर्घावधिक निवेशों को लागत पर उल्लिखित किया जाता है। तथापि, जब दीर्घावधिक निवेशों के मूल्य में अस्थायी से इतर गिरावट आती है, तो गिरावट को मान्यता देने के लिए वहनीय राशि घटाई जाती है।

10. माल–सूचियां

विवरणिका स्टॉक आदि समेत प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री और पेपर स्टॉक का मूल्य, लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री की लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है और कागज की लागत प्रथम प्राप्त प्रथम निर्गत आधार पर निर्धारित की जाती है।

11. प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का लेखांकन

(i) किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है:–

(क) जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो,

(ख) ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का प्रवाह अपेक्षित है; और

(ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ii) निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गयी है :–

(क) कोई संभावित दायित्व जो पूर्ववर्ती घटना से उत्पन्न हो और जिसकी मौजूदगी की पुष्टि एक या उससे अधिक ऐसी अनिश्चित भावी घटनाओं के होने अथवा नहीं होने से होती हो जो संस्था के पूर्णतः नियंत्रण में न हों।

(ख) कोई वर्तमान दायित्व जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न हो, परंतु उसे मान्यता इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधन का कोई प्रवाह अपेक्षित होगा या दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में व्यक्त किया गया है। इनका नियमित अंतराल पर आकलन किया गया है और दायित्व के केवल उसी हिस्से, जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के प्रवाह की संभावना हो, के लिए उन अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर प्रावधान किया गया है, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सके।

12. विदेशी मुद्रा में लेन–देन

विदेशी मुद्रा में लेन–देन सौदे की तारीख को प्रचलित विनिमय दर में मूल्यवर्गित किया जाता है। मौद्रिक मदों को अंतिम दर का प्रयोग करके दर्शाया गया है। आरंभ में रिकॉर्ड या रिपोर्ट की गई मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय दर में अंतरों को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय/व्यय के रूप में, जो भी स्थिति हो, मान्यता दी गई है।

13. कर्मचारी लाभ :

(i) अल्पावधिक लाभ

अल्पावधिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि के दौरान दावा किए जाने पर व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है। दावा न की गई राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) नौकरी के बाद के लाभ जैसे भविष्य निधि, उपदान, अवकाश नकदीकरण आदि का प्रावधान मुख्यालय संबंधित क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों में यथा लागू रूप में किया गया है।

14. परिसंपत्तियों का नुकसान

तुलन पत्र की तारीख को नुकसान वाली परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, की पहचान की जाती है और यथापेक्षित आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

15. पूर्वावधि आय/व्यय

पूर्वावधि की मदों, जो एक या उससे अधिक पूर्ववर्ती अवधियों में वित्तीय विवरण तैयार करने में त्रुटियों अथवा चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में आती हैं, को आय और व्यय लेखे में अलग से दर्शाया गया है।

ख. लेखाओं के भागस्वरूप टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण मुख्यालय, कोलकाता, नई दिल्ली कार्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों और अठासी चैप्टरों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जिनमें से 7 लेखे लेखापरिक्षित नहीं है, यथा– भरूच–अंकलेश्वर, पलक्कड, जमशेदपुर, नोएडा, नया नंगल, जोधपुर और हरिद्वार–ऋषिकेश।

   ग्यारह चेप्टरों यथा– जबलपुर, भद्रावती–सिमोगा, गाजियाबाद, मंगलौर, बेल्लारी, देहरादून, जम्मू, पटियाला जयपुर क्योंजार, नेहाती और संबलपुर के लेखे प्राप्त न होने के कारण शामिल नहीं किए गए हैं। तथापि, इन चेप्टरों के विगत वर्ष के तुलन पत्र के आंकड़ों पर समेकन के लिए विचार किया गया है (देखें : अनुबंध– I)।

2. आय कर में छूट, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 10 (23 क) के अधीन प्रदान की गई हैं। अतः आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

3. संस्थान द्वारा रखी जाने वाली सभी पुरस्कार निधियां तत्संबंधी सावधि जमा में संगत निवेश के साथ लेखाओं में शामिल की गई हैं। ये निधियां विभिन्न दाताओं द्वारा प्रायोजित की गई हैं।

4. 204,22,58,649/–रूपए की सावधि जमा में विविध पुरस्कार और अन्य निधि के लिए 51,99,024/– रूपए शामिल हैं।

5. अन्य अग्रिमों में परिषद के भूतपूर्व सदस्य से एम सी ए, भारत सरकार द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण बकाया 1,36,097 रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 1,36,097 रूपए) शामिल हैं और यह मामला अभी भी न्यायाधीन है।

6. सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क में निम्नलिखित शामिल है :–

   सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (मुख्यालय) (जीएसटी सहित) – **4,92,267/– रूपए**

7. **(i) मुख्यालयः**

(क) भविष्य निधि अंशदान इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि न्यास में किया जाता है।

(ख) उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) के अनुसार उपदान के संबंध में देयता को सामूहिक उपदान नीति के तहत एल.आई.सी.आई. को किए गए अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ग) अवकाश नकदीकरण के संबंध में देयता को एल.आई.सी.आई. के पास रखी गई अनुमोदित अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(घ) 89,34,26,535/– रूपए की सावधि जमा में विविध पुरस्कार और अन्य निधियों के लिए 29,18,957/– रूपए शामिल हैं।

(ii) ई आई आर सी

क) 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 13,34,051/– रूपए के विविध कर्जों में से तीन वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए 11,42,729/– की राशि पक्षकार द्वारा न तो कोई भुगतान होने और न ही कोई शेष की पुष्टि करने पर, 11,42,729/– रूपए की राशि संदिग्ध कर्जों के रूप में लेखा बहियों में दी गई है ।

ख) 13,10,101/– रुपए के अग्रिम तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अभी समायोजित नहीं किए गए हैं।

ग) एलआईसीआई द्वारा 17.07.2018 को समूह उपदान योजना के प्रोद्भवन मूल्यांकन के अनुसार, भुगतान देयता 25,73892/– रूपए थी । ईआईआरसी ने वर्ष के दौरान केवल 12,00,000/– रूपए का ही भुगतान किया है । शेष राशि के लिए लेखा बहियों में कोई देयता नहीं बनाई गई है ।

घ) 2014–15 से 1,60,44,103/– रुपए की राशि सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दर्शाई गई है, यद्यपि, उसका प्रयोग 2015–16 से नियमित परिसंपत्ति के रूप में किया गया है। कुछ कानूनी कानूनों से उसका पूंजीकरण न किए जाने के कारण लेखों में पिछले चार वर्षों में कोई मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है।

ङ) ईआईआरसी ने पट्टा किराए के निमित्त वर्ष के दौरान एस बी आई से कुल 41,98,369/– रूपए की राशि प्राप्त की है, जो 01.01.2013 से लंबित थी । एस बी आई से उपलब्ध होने वाले पूरे विवरण के अभाव में इस राशि को निम्नलिखित तरीके से लेखांकित किया गया हैः

1. अवधि पूर्व की आय	–37,68,426.00 रू0
2. प्राप्त किराया	- 4,33,208.00रू0
3. अन्य आय	- 2,78,520.00रू0
	43,90,154.00रू0
घटाएंः टीडीएस	- 191785.00 रू0
	41,98,369.00 रू0

किराए की आय पर जी एस टी देयता का परिकलन चल रहा है ।

च) अनुपालक संख्या कॉन/21–सीडब्ल्यूए(9) 2010 में अनुशासनिक समिति द्वारा जारी 27 मई, 2015 के आदेश के अनुसार लागत एवं कार्य लेखाकार (व्यावसायिक एवं अन्य दुर्व्यवहार तथा मामलों के आचरण) नियमावली, 2007 के नियम 19(1) के साथ पठित सीडब्ल्यूए अधिनियम, 1959 की धारा 21ख(3) के अनुसार सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश लगाए गए हैं–

- "सदस्य की प्रताड़ना
- आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर दी जाने वाली संस्थान के ईआईआरसी को 61,461/– रुपए की पूरी राशि तथा जुर्माने की समतुल्य राशि का पुनर्भुगतान
- आदेश देने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य का रजिस्टर से नाम हटाना"

तद्नुसार, 1,22,922/– रुपए संबंधित व्यक्ति से वसूल किए जाने थे। भारत के लागत एवं लेखाकार संस्थान के अपील प्राधिकारी के समक्ष के अपील दायर की गई थी और उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम की धारा 22(ङ) की उप धारा (2) के खंड (ग) के तहत इस

उपर्युक्त प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 09/04/18 के द्वारा उपर्युक्त अपील प्राधिकारी ने उन निर्देशों के पूरा होने तक संस्थान की अनुशासनिक समिति द्वारा जारी अनुचित आदेश के प्रचालन को स्थगित कर दिया है जिनके लिए मामला आदेश दिनांक 09/04/2018 के पैरा (12) के तहत उल्लिखित प्रयोजन के लिए और नया आदेश जारी करने के लिए उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु भारत के लागत लेखाकार संस्थान की अनुशासनिक समिति को भेजा जा रहा है।

8. आकस्मिक देयता (ऐसे दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया)

(क) नीति के अनुसार, नीति में विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन बिल प्रस्तुत करने पर कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय (सामान्य, पैथोलॉजी व्यय) की प्रतिपूर्ति की जाती है। नीति की शर्तों के अनुसार अप्रयुक्त शेष राशि 4 वर्षों की अवधि के लिए संचित हो सकती है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों के खाते में 49,14,003/– रूपए की अप्रयुक्त शेष राशि पड़ी है।

(ख) पूर्व संविदात्मक कर्मचारियों ने ईआईआरसी के खिलाफ वर्ष 2014 में इसी समय एक कानूनी दावा दायर किया है जो अभी तक लंबित है। वर्ष के दौरान स्थिति प्रभारित नहीं की गई है। आवश्यक प्रभाव, यदि कोई है, का मामले के अंतिम परिणाम के बाद लेखाओं में प्रावधान किया जाएगा।

(ग) परिषद ने 21 जुलाई, को हुई अपनी 320वीं बैठक में संकल्प लिया कि वित्त अधिनियम, 1994 आर डब्ल्यू सी जी एस टी अधिनियम, 2017 के अनुसार लागू ब्याज पैनल्टी (5,01,68,756 रू0) के साथ 5,01,68,756 रू0 की सेवा कर मांग आकस्मिक देयता के रूप में सूचित की जानी चाहिए ।

9. 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 1,29,69,292/– रुपए की राशि के जीएसटी इनपुट ऋण को शेष आय एवं व्यय खाते में लगाया गया है।

10. परिषद ने 21 जुलाई, 2019 को हुई अपनी 320वीं बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया ।

संकल्प लिया कि 20 और 28 सितंबर, 2018 को आयोजित परिषद की 315वीं बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन करने के लिए 6 जनवरी, 2019 को भी परिषद की 316वीं स्थगित बैठक में लिए गए निर्णय द्वारा केन्द्रीय परिषद द्वारा विनियम 145–क के तहत डब्ल्यू आई आर सी और एन आई आर सी को जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में सीएमए (डा0) आशीष पी. थाटे और सीएमए नीरज जोशी के विरूद्ध सीएमए वीरेन्द्र शर्मा और डब्ल्यू आई आर सी के विरूद्ध एन आई आर सी द्वारा जारी डेविड संबंधी टिप्पणियां, जो संबंधित क्षेत्रीय परिषदों की अलग–अलग लेखा बहियों में दर्शायी गई हैं, अमान्य/निरर्थक/गैर–कानूनी हैं ।

ये सभी डेविड संबंधी टिप्पणियां लेखों की सही, उचित और वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए संस्थान की समेकित लेखा बहियों से हटाई जानी हैं ।

परिषद के संकल्प को ध्यान में रखते हुए डेविड संबंधी टिप्पणियां वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए संस्थान के समेकित लेखों से हटा दी गई हैं ।

11. क्षेत्रीय परिषदों और चेप्टरों से संबंधित आवश्यक समायोजन की प्रविष्टियां लेखाओं के समेकन के समय कर दी गई हैं।

12. 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के आधार पर ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमी विकास अधिनियम, 2006'' के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमियों को ब्याज सहित कोई राशि देय नहीं हैं।

13. विगत वर्ष के आंकडों को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, वहां वर्तमान वर्ष के समूहों के समनुरूप पुनःवर्गीकत और पुनःसुव्यवस्थित किया गया है।

सीएमए सोमा बनर्जी — विभागाध्यक्ष (वित्त)

सीएमए एल. गुरूमूर्ति — सचिव (एक्विटग)

सीएमए बलविंदर सिंह — उपाध्यक्ष

सीएमए अमित आनंद आपटे — अध्यक्ष

तारीख:

अनुबंध-I

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वत्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखाओं के प्राप्त होने की स्थिति

पश्चिमी क्षेत्र			**दक्षिणी क्षेत्र**	
क्र.सं.	**नाम**		**क्र.सं.**	**नाम**
1	**पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद**		1	**दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद**
2	आईसीएआई का अहमदाबाद चैप्टर		2	आईसीएआई का बंगलौर चैप्टर
3	आईसीएआई का औरंगाबाद चैप्टर		3	आईसीएआई का भद्रावती–सिमोगा चैप्टर **#**
4	आईसीएआई का बड़ौदा चैप्टर		4	आईसीएआई का कोचीन चैप्टर
5	आईसीएआई का भिलाई चैप्टर		5	आईसीएआई का कोयम्बटूर चैप्टर
6	आईसीएआई का भोपाल चैप्टर		6	आईसीएआई का ईरोड चैप्टर
7	आईसीएआई का बिलासपुर चैप्टर		7	आईसीएआई का गोदावरी चैप्टर
8	आईसीएआई का गोआ चैप्टर		8	आईसीएआई का हैदराबाद चैप्टर
9	आईसीएआई का इंदौर–देवास चैप्टर		9	आईसीएआई का कोट्टायम चैप्टर
10	आईसीएआई का जबलपुर चैप्टर **#**		10	आईसीएआई का मुदुरई चैप्टर
11	आईसीएआई का कल्यान–अंबरनाथ चैप्टर		11	आईसीएआई का मंगलौर चैप्टर **#**
12	आईसीएआई का कोल्हापुर–सांगली चैप्टर		12	आईसीएआई का मेत्तूर–सेलम चैप्टर
13	आईसीएआई का कच्छ–गांधीधाम चैप्टर		13	आईसीएआई का मैसूर चैप्टर
14	आईसीएआई का नागपुर चैप्टर		14	आईसीएआई का नेल्लई–पर्ल सिटी चैप्टर
15	आईसीएआई का नासिक–ओजार चैप्टर		15	आईसीएआई का नेल्लूर चैप्टर
16	आईसीएआई का नवीं मुंबई चैप्टर		16	आईसीएआई का नेवेली चैप्टर
17	आईसीएआई का पिम्परी–चिंचवाड–अकुरडी चैप्टर		17	आईसीएआई का पलक्काड चैप्टर
18	आईसीएआई का पुणे चैप्टर		18	आईसीएआई का पांडिचेरी चैप्टर
19	आईसीएआई का रायपुर चैप्टर		19	आईसीएआई का रानीपेट–वेल्लूर चैप्टर
20	आईसीएआई का सूरत–गुजरात चैप्टर		20	आईसीएआई का त्रिशूर चैप्टर
21	आईसीएआई का वापी–दमन–सिलवासा चैप्टर		21	आईसीएआई का त्रिचूरपल्ली चैप्टर
22	आईसीएआई का विंध्यानगर चैप्टर		22	आईसीएआई का त्रिवेन्द्रम चैप्टर
23	आईसीएआई का सोलापुर चैप्टर		23	आईसीएआई का उकन्नाग्राम चैप्टर
24	आईसीएआई का भरुच अंकलेश्वर चैप्टर		24	आईसीएआई का विजयवाड़ा चैप्टर
			25	आईसीएआई का विशाखापट्टनम चैप्टर
			26	बेलारी चैप्टर **#**
			27	होसूर चैप्टर

पूर्वी क्षेत्र			उत्तरी क्षेत्र	
क्र.सं.	नाम		क्र.सं.	नाम
1	**पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद**		1	**उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद**
2	आईसीएआई का अगरतला चैप्टर		2	आईसीएआई का आगरा–मथुरा चैप्टर
3	आईसीएआई का आसनसोल चैप्टर		3	आईसीएआई का अजमेर–भीलवाड़ा चैप्टर
4	आईसीएआई का बोकारो स्टील सिटी चैप्टर		4	आईसीएआई का इलाहाबाद चैप्टर
5	आईसीएआई का भुवनेश्वर चैप्टर		5	आईसीएआई का चंडीगढ़–पंचकुला चैप्टर
6	आईसीएआई का कटक–जगतसिंहपुर–केन्द्रपारा चैप्टर		6	आईसीएआई का देहरादून चैप्टर**#**
7	आईसीएआई का धनबाद–सिंदरी चैप्टर		7	आईसीएआई का फरीदाबाद चैप्टर
8	आईसीएआई का दुर्गापुर चैप्टर		8	आईसीएआई का गाजियाबाद चैप्टर **#**
9	आईसीएआई का गुवाहाटी चैप्टर		9	आईसीएआई का गोरखपुर चैप्टर
10	आईसीएआई का हजारीबाग चैप्टर		10	आईसीएआई का गुड़गांव चैप्टर
11	आईसीएआई का हावड़ा चैप्टर		11	आईसीएआई का हरिद्वार–ऋषिकेश चैप्टर
12	आईसीएआई का जयपुर–क्योंझर चैप्टर**#**		12	आईसीएआई का जयपुर चैप्टर
13	आईसीएआई का जमशेदपुर चैप्टर		13	आईसीएआई का जालंधर चैप्टर
14	आईसीएआई का खड़गपुर चैप्टर		14	आईसीएआई का जम्मू श्रीनगर चैप्टर**#**
15	आईसीएआई का नईहत्ती–इचलपुर चैप्टर**#**		15	आईसीएआई का झांसी चैप्टर
16	आईसीएआई का पटना चैप्टर		16	आईसीएआई का जोधपुर चैप्टर
17	आईसीएआई का राजपुर चैप्टर		17	आईसीएआई का कानपुर चैप्टर
18	आईसीएआई का रांची चैप्टर		18	आईसीएआई का कोटा चैप्टर
19	आईसीएआई का राउरकेला चैप्टर		19	आईसीएआई का लखनऊ चैप्टर
20	आईसीएआई का संबलपुर चैप्टर**#**		20	आईसीएआई का लुधियाना चैप्टर
21	आईसीएआई का सेरामपोर चैप्टर		21	आईसीएआई का नया नागल चैप्टर
22	आईसीएआई का सिलीगुड़ी–गंगटोक चैप्टर		22	आईसीएआई का नोएडा चैप्टर
23	आईसीएआई का साउथ ओडिशा चैप्टर		23	आईसीएआई का पटियाला चैप्टर**#**
24	आईसीएआई का तलचर–अंगुल चैप्टर		24	आईसीएआई का उदयपुर चैप्टर
25	आईसीएआई का धुलियाजान चैप्टर		25	आईसीएआई का बीकानेर झुंझनु चैप्टर
26	चन्द्रपुर चैप्टर			
27	बंकोरा चैप्टर			

 # शामिल नहीं है।

एस. सी. गुप्ता, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./226/2019]

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2019

No. G/18-CWA/9/2019.— In pursuance of Sub-Section 5 of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act,1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March,2019 are hereby published for general information.

CMA L. Gurumurthy, Secretary (Acting)

60th, ANNUAL REPORT, 2018-19

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 59th Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute.

Abridged Annual Report 2018-19

Activities of the Committees/Boards/Cells/ Directorates

Directorate of Examination

- Examination was conducted twice in a year; in the month of June & in December for Foundation, Intermediate, Final and Diploma courses. The Examination was conducted in 118 examination centers including 3 overseas centers in June 2018 and in December 2018, there were 120 examination centers including 3 overseas centers. In total there were 46,568 examinees in June 2018 term of examination and 57,901 examinees had appeared in the examination in December 2018 term. Results of verification of marks for both June 2018 and December 2018 terms of examination were hosted in the website of the Institute (www.icmai.in).
- The Institute organized its National Students Convocation – 2019 at Eastern Zonal Cultural Center, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata on 15th May, 2019. Dr. Basab Chaudhuri, Vice Chancellor, West Bengal State University, graced the convocation as the Chief Guest. He released the Convocation Souvenir in the inaugural session.

Membership Department

The Membership Department, guided by the Members Facilities and Services Committee, and under the active leadership of The President of the Institute, has continued to improve and offer seamless services to members and the prospective members in terms of their desired requirements, by implementing an interactive DASH BOARD system which is updated on real time basis. **2105** members were newly admitted as associated members and **389** existing members were advanced to fellowship during the FY 2018-2019. Growth was also registered in the area of granting Certificate of Practice during FY 2018-2019. Special features introduced earlier were continued as under:

- Waiver of convenience charges / bank charges in making online payments by Members
- Launching of e-mail facility for members and likewise
- Provision for incorporation of GST number against membership number along with the reflection of the same in their corresponding membership fees receipts
- Online services available: All applications and updations for members and new applicants can be availed online in addition to the system of manual process. Online facility is available at https://eicmai.in/MMS/Login.aspx?mode=EU

Members in Industry Committee 2018-2019

- The Members in Industry Committee of the Institute, in its continuous endeavour to improve the services to the members who are based in the industries, has taken a number of significant initiatives. These initiatives had been taken keeping in view the objective of developing a professional body of members and playing a vital role in the context of providing leadership. The Committee embarked on activities and programs for sharing, disseminating and providing to various industries the valuable role of CMAs.
- The Committee took the initiative to publish an eight-page reference document that contained comprehensive information of the Institute, objectives of the Institute, timeline of History of the Profession, role of CMAs in various industries and scope of professional practice. The document was meant for consciously branding the Institute and the Profession. Its circulation to the various industries across the country, Ministries, Members and Corporate

Entrepreneurs enhances brand image of the profession as it contained, in brief, very useful dimensions of the profession and its role in Economic Development of the Nation.

Professional Development Directorate & Continuing Professional Development Committee

- ✓ **Meeting with Various Authorities for enhancing the scope of profession:**

  Ministry of Corporate Affairs, Minister of Finance, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Agriculture Price Commission, Govt. of Karnataka, Ministry of Commerce and Industry, Central Board of Indirect Taxes & Customs, Bureau of Indian Standards, National Health Authority and others

- ✓ **Representation with Government, PSUs, Banks and Other Organizations**
- ✓ **Publication of Guidance Notes**
- ✓ **Mandatory Training Programme on Capacity Building Measures for Members entering in Practice**
- ✓ **National CMA Practitioners' Convention (NCPC) 2018**

  PD & CPD Committee in association with the Bhubaneswar Chapter organized National CMA Practitioners' Convention (NCPC- 2018) on the **theme "Emerging Professional Avenues: Capacity Building of CMAs"** on 23rd December 2018 at Bhubaneswar, Odisha. Shri Shashi Bhushan Behera, Hon'ble Cabinet Minister, Finance, Excise and Public Enterprise, Government of Odisha was the Chief Guest of the event and Shri Bhartruhari Mahtab, Hon'ble Member of Parliament, Loksabha was the Guest of Honour of the NCPC 2018.

- ✓ **Programs/ Seminars/Webinars on Topic of professional relevance**
- ✓ **Program in Association of Other Committees of Institute :**

  Continuing Education Programs, Webinars, Study circles, Joint Programs, Formation of Study Circles

Directorate of Studies (D.O.S)

Directorate of Studies (D.O.S) is entrusted with students related activities. Presently it is having four distinct wings: (A) Academics, (B) Administrative, (C) Career Counselling and (D) Training & Placement. While Academic wings of D.O.S is entrusted for capacity building through qualitative improvement and skill development measures, the Administrative wing of D.O.S handles other activities related to students admission and related matters. There are also many activities which are jointly contributed and effectively supervised by both the wings. Career Counselling wing looks after Career Counselling Schemes and successful implementation of it through various Regions and Chapters across India. Training & Placement wing takes care of training activities of the students as per Institute guidelines, conducting Pre-Placement Orientation Programme, Campus Placements and Off-Campus placements of the qualified CMAs.

- Initiatives taken for capacity building through qualitative improvements
- Support services to the students
- Social Responsibilities
- CMA Career Counselling Programmes [2018-19]
- Placement Programmes [2018-2019]
- Training Activities [2018-2019]

Directorate of Journal & Publications

- Publication of Quarterly "Research Bulletin" and Monthly "The Management Accountant" Journal on regular basis
- **Increase in readership of Journal**

  The Management Accountant journal is now available in 94 countries across the world and we are continuously trying to increase the same to other parts of the world.

- **Availability of Apps**

  The Management Accountant journal is available on apps for reading through third parties viz. Magzter and Read where and we are also trying to enlist the same to other platforms mainly at the International Level.

- **SOUVENIR for NCC – 2019**

  The Directorate of Journal & Publications actively participated in preparing the Souvenir for the 59th National Cost Convention (NCC-2019)& SAFA Events on the theme "Cost and Management Accountants: Power of the Past –

Force of the Future" held at Pune, Maharashtra on 20th & 21st January, 2019. This was highly acclaimed by the eminent personalities.

Tax Research Department (TRD) / Taxation Committee

The objective of the department is to provide members, students, Governments and other stake-holders with the highest possible level of service, Suggestions, training and advisory. Activities undertaken by the department during the F.Y. 2018-19 are enlisted below:

- **Webinars**
- **Workshops for Corporate & Seminars**

  There has been a "National Seminar on Taxation" themed on 'Reformed Taxation System – Catalyst to sustained economic growth' held at Bhubneshwar in December 2018. The seminar was inaugurated by Shri Ganeshi Lal, Honourable Governor of Odisha. It was graced by Ministers, MPs and officials from Ministries.

- **GST Helpdesk**

  'GST Helpdesk' has been launched in a new digitized environment as a complimentary facility for all the stakeholders, to achieve a seamless transition in GST.

- **Representations to Government**

  The Tax Research Department of the Institute has submitted various representations to Government-

  ✓ Modification and simplification of GST Returns under GST regime.

  ✓ Valuation Rules for Anti Profiteering and developing Guidance note with suitable formats.

  ✓ Simplification of GST for MSME/SME sector.

  ✓ Representation on Fair Market Value - Empowering the members of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI) for Valuation and certification thereof – Proposal for amendment in Income Tax Rules

  ✓ Inclusion of Cost Accountants in "Accountant" Definition of Income Tax Act, 1961, U/Sec 288(2)

  ✓ Representation to the Ministry of Commerce

  ✓ Representation to the Custom Authorities for Inclusion of Cost Accountants for undertakings/submission of Certificates to the exporters to overcome the problem of refund blockage and post audit scrutiny

  ✓ Representation on Direct Tax Law and Submission for inclusion of "Cost Accountants" under the definition of "Accountants"

- **Fortnightly Tax Bulletin**

  24 "Fortnightly Tax bulletin" have been successfully published which have been widely appreciated by Govt. Departments, Trade Associations, Industry Houses, members of the Institute and other Tax Professionals.

- **Various Publications**

  In order to enrich the knowledge base of the stakeholders, the department launched several books during the year which have been appreciated by the professionals and responding to the changing taxation environment of the country, the publications are also being updated on a regular to include the latest developments on taxation front.

- **Taxation Portal**

  One can get almost all the updates in taxation front of the country in form of Publications, Webinars, Courses, Bulletin, Updates, Link to CBIC and CBDT, Access to Act, Rules etc. through this portal.

- **Top Stories in Taxation Portal**

Updating oneself with the latest developments is a primary condition for knowledge enhancement. Looking at the frequently changing scenario in the country's taxation front, Tax Research Department has introduced "Top Stories" section in the Taxation Portal. Updates on Notifications, Circulars, and Judgements etc. are being uploaded under this section with a narrative gist on real time basis to enable the stakeholders to get updates on taxation matters.

- **Taxation Courses**

Tax Research Department has initiated three new courses both in Direct Taxes and GST which are scheduled to be started during April 2019. They are:

(i) Advance Certificate Course on GST

(ii) Certificate Course on TDS

(iii) Certificate Course on Return Filing and Filling

A Crash Course on GST for colleges and universities has also been designed and efforts are on to initiate the course in May 2019.

Committee on Public Finance & Government Accounting

- The Committee in association with the Dehradun Chapter organised a programme on 'Unexplored Areas for CMAs' on 16th December 2018 and then in association with the Ghaziabad Chapter on 29th December 2018 respectively.
- A program was organised on the theme "A perspective to Economic Reforms in India" wherein deliberated on Insolvency & Bankruptcy Code 2016 and Goods & Service Tax on 13th January 2019 at Noida
- The Committee organised a Seminar on 'Costing in Government Sector' on 17th January 2019 at Scope Convention Centre, New Delhi.
- A program on 'Costing in Government Sector & Forensic Audit' on 10th February 2019 at Faridabad.
- The Committee in association with Ghaziabad Chapter organised a Program on 'Cost & Management Accountant: The Way Ahead'' on 10th March 2019 at Ghaziabad.

Internal Committee

Number of workshops or awareness program carried out on Sexual harassment: 2

Disciplinary Directorate

1. **Board of Discipline under Section 21A of the Cost and Works (Amendment) Act, 2006**

Two meetings of Board of Discipline were held on 30/10/2018 and 07/04/2019. The Board considered a number of Complaints and Information under the provisions of the Cost and Works Accountants Act, 1959. During the period, 02(Two) Complaints and 08 (Eight) information were disposed off by the Board of Discipline

2. **Disciplinary Committee under Section 21B of the Cost and Works (Amendment) Act, 2006**

Three meetings of Disciplinary Committee were held on 05th October, 2018, 26th October, 2018 & 1st April, 2019. The Committee considered a number of Complaints and Information under the provisions of the Cost and Works Accountants Act, 1959.

CAT Committee

CAT Directorate commenced the online admission in CAT Course from April 2019. CAT course in Kerala has reached the 6th year successfully through Additional Skill Acquisition Programme (ASAP) project of Government Kerala. Chairman-CAT had meetings with the Ministers of Government of Bihar viz., Shri Suresh Kumar Sharma, Hon'ble Minister of Urban Development and Housing Department, Shri Vijay Kumar Sinha, Hon'ble Minister of Labour Resources & Skill Development, Shri Sharwan Kumar, Hon'ble Minister of Rural Development, Shri Pramod Kumar, Hon'ble Tourism Minister for promoting the CAT Course. Chairman-CAT had an interactive session through webinar with the students registered in Certificate in Accounting Technicians (CAT) course on March 6, 2019 to know more about their problems and the issues faced by them. During the webinar, students also gave suggestions for improvement in the CAT course. The CAT Directorate declared the month of April 2019 as CAT Promotion Month. The idea was to attract more and more youth towards CAT course through Regional Councils, Chapters, Recognized Coaching Centers (ROCCs), Members to rope in the

volunteers for promotion of the CAT course and to further enhance the admissions. The Council of the Institute approved the revised syllabus of the CAT course.

Technical Directorate

Cost Accounting Standards Board:

The standards setting body of the Institute, CASB, Chaired by **CMA Balwinder Singh**, met for the two times during the period i.e. on 6th October 2018 at Chandigarh and on 29thJanuary 2019 at New Delhi. The Board besides taking up the revision of CAS – 4, has also come out with the following activities:

1. Issuance of CAS-4 (REVISED 2018)- Cost Accounting Standard on Cost Of Production / Acquisition / Supply Of Goods / Provision of Services
2. Issuance of Guidance Note on Compilation Engagements by a Cost Accountant
3. A working group for carrying out necessary amendments in the Cost Accounting Standards due to issuance of Ind AS and GST was formed by the Chairman.
4. Another working group for coming out with Guidance Note on Cost Management for MSME sector was formed.
5. A Joint working group consisting of members from Technical Cell and CASB, was formed to carry out limited revision of CAS-2.

Cost Auditing and Assurance Standards Board (CAASB)

The standards setting body of the Institute CAASB, chaired by **CMA P.V. Bhattad** has met for three times during the current period i.e. on 27thNovember 2018 at New Delhi, on 29th December 2018 at Mumbai and 28th January 2019 at Chennai. For the first time, the Board organized consultations with the practicing members of the particular region before the meeting of the Board in order to frame FAQs on the Standards on Cost Auditing. The following drafts were ready for release as exposure drafts by the Board:

- Draft FAQs on SCAs 101-104
- Draft Standard on Quality Control

Corporate Laws Committee:

The Corporate Laws Committee was chaired by **CMA (Dr.) PVS Jagan Mohan Rao**, held its only meeting on 3rd December 2018 at Kolkata. It was decided in the meeting to organize Corporate Laws Day on PAN India Basis on 4th January 2019. Some webinars were also conducted by the Committee for the members of the Institute:

1. Webinar on 7th March 2019 by CMA (Dr.) Rajkumar S Adukia on the topic "Role of CMAs in goldmine opportunities in Business Tribunals - NCLT, PMLA, SAT, FEMA, GST etc. Tribunal Crafts, Drafting, Appearance, Value Addition to clients by Advisory Services.
2. Webinar on 20th March, 2019 on IND – AS on Financial Instruments – AS 109, AS -107 and AS – 32 by an expert faculty CA Wudali Gowri.

Technical Cell (2018-19)

The Technical Cell of the Institute, chaired by **CMA (Dr.) Dhananjay V Joshi**, Past President, has met 4 times during the year i.e. 13th and 14th August 2018 New Delhi, 24th & 25th October 2018 in Bengaluru, 10th December 2018 at Pune and 15th March 2019 in Kolkata. The Technical Cell has also planned its 5th meeting at New Delhi on 15th July 2019. The major decisions taken by the Technical Cell are given below:

1. It was decided to hold the meetings of the Technical Cell in all the regions with invitation to be sent to the select prominent Members in Practice / Industry Representatives in order to have their views / suggestions on the Cost Audit etc.
2. A mechanism to respond to the queries on Cost Records, Cost Audit, Cost Rules etc. raised by the members in a time bound manner was placed by the Technical Cell very successfully.
3. In its drive to come closer to Industry and other stakeholders the Technical Cell has decided to render Advisory Services to the Industry and Members of the Institute to cater to their specific requirements.

4. The Technical Cell sent a communication, containing appreciation and some suggestions for further improvement, to the MCA and CAB with regard to issuance of a publication named "Annual Report on Costs and Prices 2016-17" by the Ministry of Corporate Affairs containing analysis of cost audit reports filed by the companies in the year 2016-17.

International Affairs Department

South Asian Federation of Accountants (SAFA)

- CMA Dr. PVS Jagan Mohan Rao, Central Council Member has assumed office as President of South Asian Federation of Accountants (SAFA) for the year 2019 w.e.f. January 1, 2019.
- The 3rd Financial Reform for Economic Development Forum in Asia (FRED III) was held in Karachi, Pakistan on 24thSeptember, 2018 on the theme 'Maximizing Private Sector Finance and Solutions for Development - Role of the Accountancy Profession'.
- A delegation from the Institute represented the Institute in the 55th SAFA Board meeting and other Committee meetings of SAFA held in Waskaduwa, Sri Lanka held on 19th October, 2018.

Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)

The department coordinated the following meetings of Confederation of Asia and Pacific Accountants (CAPA) during the year which were attended by the representatives of the Institute:

- Immediate Past President and Chairman- International Affairs & Sustainability Committee, who is also the member of the Public Sector Financial Management Committee (PSFMC) of CAPA, attended the committee meeting and events hosted by Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA) during 16-18 August, 2018 at Hanoi, Vietnam.
- The Confederation of Asian and Pacific Accountants held its Members Meeting, Extraordinary General Meeting (EGM) and AFA-CAPA Joint Forum in Sydney, Australia on the sidelines of the WCOA. President along with Chairman International Affairs and Sustainability Committee attended the EGM of CAPA as voting representative and as designated advisor respectively to the meeting.
- President of the Institute and President SAFA attended the CAPA meetings and events during 31st May and 1st June 2019 in Kuala Lumpur, Malaysia.

International Federation of Accountants (IFAC)

The Department coordinated the meetings of International Federation of Accountants (IFAC) and made arrangements for the Council members represented the Institute:

- ✓ **Visits of Officials from Foreign bodies to the Institute**
- ✓ **International Meetings & Events**
  - Chairman, PD & CPD Committee of the Institute attended the International Conference organized by the Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (CIPFA) on September 23 & 24, 2018 at Abu Dhabi.
  - Technical support from the Institute of Cost Accountants of India was provided in organizing a training program on Cost Audit to The Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh which was held on 21st & 22nd September, 2018 at Dhaka. Experts on the subject from the Institute made presentations on the scope, methodology, benefits and practical aspects of cost audit.
- ✓ **Inauguration of Singapore Overseas Center of Cost Accountants**

President's Office

President's office at Delhi and Kolkata facilitates coordination of various activities on behalf of the President of the Institute with departments of the Institute and external agencies. It may not be involved with the activities directly but indirectly there are many actions taken by the President's Office for the ease of coordination. The department also carried out various tasks, jobs and assignments assigned by Council Members, Past Presidents and Higher Officials of the Institute. Some of the key initiatives are as follows:

- ✓ 59th National Cost Convention:
- ✓ Correspondence with Ministries, Government Departments and agencies:

- ✓ Technical Support to President & Vice-President
- ✓ Support to all major events of the Institute:

Information Technology Department

The Institute made effective use of Information Technology not only to improve efficiency and service delivery to the stakeholders but also to enhance interaction with the stakeholders.

- Unique Document Identification Number (UDIN) for Members
- Facility to upload Photo & Signature in IEPS
- CAT Online Registration Module
- Separate Module for Election Uploads
- Research Survey
- Webinars
- Advanced Studies Portal
- Events Portal and Webcast
- HRIS
- Shifting of IT Infrastructure on Cloud

Banking & Insurance Committee

- As part of Banking Industry initiatives, the Committee have taken up on a continuous basis with appropriate authorities including RBI, IBA, IIBF representatives, PSBs and Private Banks for recognizing Professional Services of Cost Accountants and Cost Accountant firms.
- The Committee sent representation letter for inclusion of 'Cost Accountants and Cost Accountant firms' for empanelment as Concurrent Auditors in UCO Bank was sent On 3rd September, 2018
- The committee sent representation letter for inclusion of Cost & Management Accountants (CMA) for various professional financial positions in India Post Payments Bank Limited was sent On 1st October, 2018
- The Committee has been regularly submitting representations for inclusion of the qualification of Cost Accountants at par with qualification of Chartered Accountants in the eligibility condition of recruitment advertisement in various Banks. During March to May 2019, the Committee submitted representation for the post of DGM –FAD, Taxation, AGM – FAD, Taxation and Manager – FAD / Taxation, Treasury in IDBI Bank Ltd., Assistant Administrative Officers (AAOs) in LIC of India, Assistant Vice President – Railways in Bank of Baroda, Cost Analytics Manager in IDFC Limited and Manager Analyst in State Bank of India.

Internal Control Department

- The Department appointed Internal Auditors for the year 2018-19 for four Regional Councils and three Chapters with turnover exceeding Rs. 1 crore through Expression of Interest including scope of audit for appointment of Internal Auditors. After completion of the said audit all the audit report along with the management reply was compiled and advisory was provided to the chapters and regions for reporting necessary compliance.
- In case of HQ, the department coordinated with the Internal Auditor and respective departments regarding Internal Audit outcomes and advised measures to overcome the issue.
- The department has been vetting various purchase proposals originating from different departments at HQ as per GFR and DOP.
- The department suggested implementation of different measures for day to day work as well as the whole system for better control and also provided advisory services to different departments on different matters as and when asked for.

B M Chatrath & Co LLP
(Formerly B M Chatrath & Co)
Chartered Accountants
LLPIN: AAJ-0682

Regd. Office: Centre Point, 4th Floor, Suite No. 440,
21, Hemanta Basu Sarani, Kolkata- 700 001
Tel: 2248-4575/4667/6810/6798,
2210-1385, 2248-9934
E-mail: bmccal@bmchatrath.in
Website : www.bmchatrath.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To The Council of The Institute of Cost Accountants of India

Report on the Financial Statements for the year ended 31st March 2019

Qualified Opinion

We have Audited the accompanying Financial Statements of the Institute of Cost Accountants of India ("The Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31 2019, the Income & Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, which incorporated the accounts of Headquarters, reflecting total assets of Rs. 182.89 Crores and total revenue of Rs. 66.21 Crores (net of inter – region/ chapter transactions) audited by us having been appointed by the Council of the Institute. The Audited Accounts of Four Regional councils namely Eastern India Regional Council (EIRC), Southern India Regional Council (SIRC), Northern India Regional Council (NIRC) and Western India Regional Council (WIRC) reflecting total assets of Rs. 40.65 crores and total revenue of Rs. 13.32 crores audited by other auditors have also been incorporated.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us except for the possible effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph the financial statements of the Institute of Cost Accountants of India give the information in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India of the state of affairs of the Institute of Cost Accountants of India as at 31st March 2019, and its Surplus and its Cash Flow for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. **Title Deed**

a. No Master List of Property Title Deeds belonging to the Institute was made available to us. Hence we are unable to comment on the total number of properties held in the name of the Institute.

b. We could verify Sixty Three numbers of Title Deeds of Immovable properties & observed as under:

i) Twelve numbers of Title deeds of Immovable properties were registered in the name of the Chapter instead of being registered in the name of the Institute.

As per the clause no 99(f) & 85(1)(e) of the Cost & Works Accountants Regulations 1959 , title of the properties should vest in the name of the Secretary and Executive Committee of the Institute , and as such be registered in the name of the Institute. Hence this has resulted in a violation of the clauses mentioned supra.

ii) In respect of Twenty Seven numbers of Title deeds only photocopies were made available to us; instead of original Deeds .In absence of the original Deeds, we are unable to ensure the veracity of the titles of these immovable properties.

2. Full details of Fixed Assets other than Freehold Building were not made available to us; accordingly we are unable to comment on the correctness of the disclosure of the Fixed Assets in the Financial Statement as on 31st March 2019.

3. There was no physical verification of fixed assets carried out by the management during the year.

4. No confirmations have been received from Regional Councils and Chapters against an amount of Rs. 539.18lacs shown under Current Accounts with Regional Council and Chapters.

5. The Institute has accounted for Leave Encashment and Gratuity on payment basis. No actuarial valuation of Leave Encashment and Gratuity was done. According to the Accrual basis of accounting, the Provision for Leave Encashment and Gratuity should have been recognized for each year which was not done till 31st March 2019. This has resulted in the over statement of the surplus of the Institute for the year then ended.

6. The Institute has an amount outstanding in Non-Specific Deposit of Rs. 30,71,950/- for more than three financial years. The nature of the amount cannot be determined.

7. Sundry Debtors amounting to Rs. 5,66,487/- of Delhi (HQ) are lying unadjusted / unrecovered since last three years, which is subject to reconciliation and confirmation. The Institute has not made any provision for Bad & Doubtful Debts against these Debtors. In view of non-reconciliation and non-confirmation of Debtor balances, we are not in a position to ascertain and comment on the correctness of the outstanding balances and resultant impact of the same on the Financial Statement.

8. The Institute has a liability outstanding in respect of Membership Fee to Foreign Body amounting to Rs. 3,91,132/- for a period of more than three years.

9. As per Clause 18 of Chapter bylaws, the Managing Committee of the Chapter shall adopt the Audited Accounts of the Chapters and Regional Councils in their Annual General Meeting. However for the following Thirty chapters and Two Regional Councils the Accounts are considered for consolidation though the Accounts have not been adopted in their respective Annual General Meeting :-

Region	Regional Council	Chapter	
Northern India Regional Council (NIRC)	Northern India Regional Council (NIRC)	1.	Agra Mathure Chapter
		2.	Ajmer Bhilwara Chapter
		3.	Faridabaad Chapter
		4.	Gorakhpur Chapter
		5.	Gurgaon Chapter
		6.	Jaipur Chapter
		7.	Bikaner Jhunjhunu Chapter
		8.	Kota Chapter
Eastern India Regional Council (EIRC)	-----	1.	Bokaro Steel City Chapter
		2.	Bhubneswar Chapter
		3.	Cuttack Jagatsinghpur Kendrapara Chapter
		4.	Guwahati Chapter
		5.	Ranchi Chapter
		6.	Talcher-Angul Chapter
Western India Regional Council (WIRC)	Western India Regional Council (WIRC)	1.	Aurangabad Chapter
		2.	Baroda Chapter
		3.	Bhilai Chapter
		4.	Bhopal Chapter
		5.	Indore Dewas Chapter
		6.	Alwar Solapur Chapter
		7.	Kutch-Gandhidham Chapter
		8.	Nagpur Chapter
		9.	Vindhyanagar Chapter
		10.	Bilaspur Chapter
Southern India Regional Council (SIRC)	-----	1.	Bangalore Chapter
		2.	Cochin Chapter
		3.	Nellai-Pearl Chapter
		4.	Visakhapatnam Chapter
		5.	Kottayam Chapter
		6.	Madurai Chapter

10. In case of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), as reported by the respective auditor and apparent from notes to accounts, Capital Work in Progress –from financial year2014-15 a sum of Rs. 1,60,44,103/- has been shown as Capital Work in Progress although the same has been put to use as a regular asset since financial year2015-16. In absence of non-capitalization of the same due to legal reason no depreciation is being provided in the accounts for last four years. This has been resulted in understatement of Fixed Assets & resultant Depreciation.

11. In case of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), as reported by the respective auditor and apparent from notes to accounts, as per Actuarial Valuation of group Gratuity Scheme by LICI on 17th July 2018, payment liability was Rs. 25,73,892/-. However EIRC has paid only Rs. 12,00,000/- during the year. No liability has been provided in the books of accounts for the balance amount.

12. In case of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), as reported by the respective auditor and apparent from notes to accounts, out of total Sundry Debtors of Rs. 13,34,051/- as on 31st March 2019 a sum of Rs. 11,42,729/- is more than three years old. Neither any payment nor any balance confirmations have been provided in the books of accounts as doubtful debts.

13. In case of Western Indian Regional Council (WIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), as reported by the respective auditor and apparent from notes to accounts, Claims receivable of Rs.21,58,741/-,as appearing in WIRC's Current Assets Schedule, in respect of Debit Notes based on Special Audit Report conducted by HQ and Implementation Committee and its recommendations and Council Decision taken in its 294th Council Meeting held on 21st July 2015 and are considered fully recoverable. Further, the Secretary (Acting) communicated in the letter No.G:142:01:2019 dated 18.01.19 to the Chairman, WIRC stated as follows:

"In pursuance of Regulation 145A of the Cost & Works Accountants Regulations, 1959 and in accordance with the decisions taken in the 316th Meeting of the Council to amend the minutes of the 315th Meeting of the Council held on 20/28th September, 2018,the following directions are hereby issued for compliance by the Western India Regional Council (WIRC) of the Institute. Any violation of these directions will attract disciplinary action against the office bearers of the respective Regional Council in accordance with the provisions of the Cost & Works Accountants Act, 1959 and the Rules and Regulations framed there under,

DIRECTIONS IN PURSUANCE OF REGULATION 145A OF THE COST & WORKS ACCOUNTANTS REGULATIONS, 1959.

Debit notes raised on CMA Ashish Thatte and CMA Neeraj Joshi by the Institute of Cost Accountants of India (ICAI)-Western Council (WIRC) have no merit and these debit notes are hereby nullified, cancelled and stand withdrawn from the accounts of WIRC of ICAI and also from the consolidated accounts of The Institute of the Cost Accountants of India with effect from 28th September 2018.

WIRC of ICAI is hereby directed to pass the necessary entries in its books of accounts as on 28th September, 2018 to give effect to the cancellation of debit notes and confirm compliance of this direction under Regulation 145A of the Cost & Works Accountants Regulations, 1959 within 7 days from the receipt of this direction"

In this regard the WIRC in their 298th Meeting of the Western India Regional Council it was decided in the Item No. (3) as under:-

"To discuss matters pertaining to directions received u/s 145A from Secretary (Acting) & to discuss on the letter received from Director (Discipline) regarding seeking their response to directions issued u/s 145A.

At the outset CMA P.V. Bhattad, Central Council Members and Past President and Shri Ajai Das Mehrotra, Government Nominee expressed to abstain from the matter.

The majority of the members expressed that the way Secretary (Acting) has given the directions u/s 145A and the Council decisions regarding reversal of debit notes needs clarification on the following issues:

1. Under which provision the norm of 7 days was stated by Secretary (Acting) along with the authority.
2. The Annual Accounts for last 4 years are audited by Statutory Auditor and passed in AGM and are also consolidated with the Headquarters Accounts and same are also audited by the Headquarters and further submitted to Government, having done this has Council the powers to reverse the debit notes and that too with backdated. For this necessary provision as of the law may be specified.
3. Whether directions u/s 145A can be issued for reversal of debit notes which cannot be the conducive to the fulfillment of the objects of the Act and in the discharge of the functions.

It was thereby resolved to communicate the matter to Secretary (Acting) stating the details of the decision taken in the meeting.

In the meantime, CMA Neeraj Joshi and CMA Ashish Thatte have filed the writ petition against The Institute of Cost Accountants of India and WIRC vide Reference No. 6787 of 2019 in the High Court at Mumbai against The Institute of Cost Accountants of India and WIRC of ICAI on 3rd May 2019 and the High Court, pending final decision, has given ad-interim relief in terms of prayer clause(d) which states as follows "Pending the hearing and final disposal of the petition, the Respondents be restrained from or be directed, to stay the operation or implementation or from giving effect to, in any manner and to any extent to the debit notes dated13th February 2015 issued by the Respondent No. 2 against the Petitioners and be further restrained from taking any steps or actions resulting into adversely affecting the rights of the petitioners in any manner including the rights to contest election to any post or office."

Further, the petitioner in their petition had prayer (f) which states," The respondent be further directed not to include the said debit notes dated 13th February 2015 in the books of accounts for the year 2018-19 and or till the disposal of the petition;" which was not allowed by Honorable High Court.

Further, the Council has decided to conduct C& AG Audit for the period from 2010 to 2015 which also covers the above matter till then the final decision on above matter may be taken after C & AG Audit.

Claims receivable from FDAPL of. Rs.67,30,000/- as appearing in WIRC's Current Assets Schedule, is also considered fully recoverable. Further, the Council has decided to conduct C& AG Audit for the period from 2010 to 2015 which also covers the above matter till then the final decision on this matter may be taken after C & AG Audit.

14. In case of Northern Indian Regional Council (NIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), as reported by the respective auditor and apparent from notes to accounts, Claims receivable amounting to Rs. 41,44,422/- as appearing in the schedule of Current Assets/Liabilities are in respect of debit note raised on Sh Vijender Sharma the then Chairman for the Year 2014-15 based on the decision taken at the EC meeting of NIRC held on 6th October 2015 and further confirmed by the regional council meeting held on 22nd November 2015 , 27th November 2015 and 25th May 2016 respectively.

Pursuant to the decision taken by the Members in the Annual General Meeting for the year 2015-16 followed by decision of the Regional Council, a recovery suit has been filed in the Saket Court, New Delhi having the jurisdiction on the matter, for recovery of Rs.41,44,422/- due from then Chairman Sh. Vijender Sharma for the year 2014-15. The matter is sub-judice.

Furtherance to this NIRC of ICAI has received a letter No. G142.01.2019 Dated 18th January 2019 from Secretary (Acting) ICAI communicating a decision of the council at their 316th Meeting to issue directions to the Regional Council to revise the debit notes raised by NIRC against Sh Vijender Sharma for Rs 41.44 Lakhs.

In this regard the regional council via mail dated 29th January 2019 responded to the Secretary (acting) ICAI and all Council members about its decision taken NOT to reverse these debit notes on the following grounds:

- As the above said debit notes were got passed and approved at AGM of NIRC dated 18th July 2016 hence Regional Council has no power to withdraw the same. The matter has to be approved and passed by the AGM only.

- The above said matter of debit notes is sub-judice and a case (at witness level) is in progress at Saket Court, New Delhi. As the matter is sub-judice, hence RCM or office bearers have no power to withdraw the debit note till Court passes the order.

In view of the fact that debit note had been accepted by the Central Council through consolidation in the year 2015-16 and C &AG in its report dated 09th May 2019 has also reproduced the relevant audit observation in this regard.

Withdrawal of petition by Vijender Sharma dated 3rd July 2019 via Delhi High Court order No.WP(C)6030/2016 against raising of debit note and decision of the regional council (originator of Debit Note) passing the resolution to this effect by circulation to continue with their recovery suit against the said debit note. The NIRC is of the opinion that status quo needs to be maintained for the debit note and no reversal is warranted.

15. In respect of Faridabad Chapter of Northern India Regional Council (NIRC) of the Institute of Cost Accountants of India, as reported by the respective auditor:
It is observed that an Air Conditioner, two Computers and two Computer Tables appear in the Balance Sheet, but the same are not found in physical verification at the Chapter Premises as these assets have been retained by Mr. Jaiprakash Tanwar in the financial year2015-16 due to some dispute of payment arrears.

16. In case of Pune Chapter of Western India Regional Council (WIRC) of the Institute of Cost Accountants of India, as reported by the respective auditor and apparent from notes to accounts, during the year, building construction activity

additions to Capital Work in Progress of Rs. 375.26 lacs. The additions mainly consist of payments made to civil contractor, furniture, equipments and other incidental expenses incurred. The Total Project Cost of Rs. 972.90 lacs (land Rs. 271.99 lacs and building Rs. 700.91 lacs) have been capitalized and transferred to Head Office.

However in the Head Office Books of Accounts, only Rs. 709.99 lacs (Land Rs. 271.99 lacs & Building Rs. 438 lacs) were capitalized upto the date 31st March 2019.

17. In case of Nashik Ojhar Chapter of Western India Regional Council (WIRC) of the Institute of Cost Accountants of India, as reported by the respective auditor:

- Office No.207 & 208, 2nd floor, Prasanna Arcade, Nashik 422001,
  Sale deed dated 10th May 2011& 23rd September 2013 for respective office is in the name of The Institute of Cost Accountants of India, Kolkata but Municipal Tax Receipt and electricity bill received in the name of seller Mr. Burad, who was one of the directors of Balaji Share & Shoppee Investment Ltd (Seller).
- Office No. 308,309 & 310, 3rd floor, Prasanna Arcade, Nashik 42200,
  Sale deed dated 18th December 2010 in the name of Nashik Ojhar Chapter of Cost Accountants Nashik.

18. In case of Cochin Chapter of Southern India Regional Council (SIRC) of the Institute of Cost Accountants of India, as reported by the respective auditor:

- Rs. 25,26,967/- spent during the financial year2015-2016 for the construction of building located at Chalikkavattom, Gramina Vayanashala Road, Vytilla, Ernakulam is shown under the head "Capital Work in Progress" even though it is completed in all respects on 1st May 2016(which was the Inauguration date of new building).
- Long pending payable to contractors: Rs.10,14,789/- Payable to various contractors for the construction of building located at Vyttila, is not settled.
- Land Tax payment of ICWAI Cochin Chapter is pending from the year of purchase of land in 1992.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following notes on the Financial Statements of the Institute requiring emphasis by us. Our opinion is not qualified in respect of these matters.

1. Balance of GST input credit as on 31st March 2019 amounting to Rs. 1,29,69,692/- has been charged to Income & Expenditure Account.

2. The Institute as per its decision of council meeting dated 21st July,2019 has written off Claim receivable amounting to Rs.1,29,51,987/- (NIRC Rs.41,44,422/- and WIRC Rs.88,07,565/-) resulting reduction of Claim Receivable and Other Liabilities to that extent. These amounts are not reflected in the individual Accounts of NIRC and WIRC.

3. In case of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India(ICAI), as reported by the respective auditor and apparent from notes to accounts, in terms of the orders dated 27th May 2015 passed by the Presiding Officer of the Disciplinary Committee, in complaint no. Com/21-CWA(9) 2010, the following orders were imposed against a Member in terms of Sec 231B(3) CWA Act, 1959 read with rule 19(1) of the Cost and Works Accountants (procedure of Investigations of Professional & Other Misconduct and conduct of cases), Rules 2007.

- "Reprimanding the Member
- Repayment of the entire amount of Rs. 61,461/- to EIRC of Institute plus equivalent amount of fine to be paid within 30 days of service of the order and
- Removal of the name from the register of Member for period of one year from date of the service order"

Accordingly, Rs. 1,22,922/- was recoverable from the concerned Member.

An appeal was preferred before the appellant authority of the Institute of Cost Accountants India and the said appellant Authority by virtue of order 9th April 2018 in exercise of the powers conferred upon this said authority under clause (C) of sub section (2) of section 22E of the Cost and Works Accountants Act has stayed the operation of the Impugned Order passed by the Disciplinary Committee of the Institute till the completion of the directions for which the, matter is being remitted to the Disciplinary Committee of the Institute of Cost Accountants of India for under taking the aforesaid proceeding for the purpose as mentioned under Para(12) of the order dated.9th April 2018 and to pass fresh Order.

4. In case of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), as reported by the respective auditor and apparent from notes to accounts, EIRC has received a total sum of Rs. 41,98,369/- from State Bank of India during the years on account of lease rent which was pending since 1st January 2013. In absence of complete breakup being available from State Bank of India, the amount has been accounted for in following ways:

Particulars	Amount (Rs)
Prior Period Items	37,68,426
Rent Received	4,33,208
Other Items	2,78,520
Sub total	**44,80,154**
Less: TDS	1,91,785
Total	**41,98,369**

The computation of GST liability on rental income is under process.

5. In case of Eastern India Regional Council (EIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), as reported by the respective auditor and apparent from notes to accounts, under the head "Other Advances" a sum of Rs. 13,10,101/- is remaining unadjusted for more than three years. Since no recovery could be effected inspite of regular follow up during the last couple of years necessary provision against the same has been made in the books of accounts.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Management is also responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicated with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identified during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

1. **Capital Work in Progress**

There has been pending Capital Work in Progress, for which no further work has been undertaken by the Institute for a considerable period of time, list of which are given as follows:

Particulars	Amount (Rs.)	Pending from/Remarks
Centre of Excellence - Ajmer	60,28,800	Prior to 2010.
Jaipur Chapter	30,11,000	No work progress has been observed from 2016 onwards.
Hyderabad Centre of Excellence	10,37,781	Representing the amount incurred towards cost of Supply & Installation of fire hydrant & sprinkler system at HCE Building in the year 2015.
Jaipur Centre of Excellence	62,962	Amount paid to Dolphin Engineer on 31/03/2017 for soil testing. No work has been done beside that till date.
Navi Mumbai Centre of Excellence	4,99,78,350	Last amount paid Rs 524750/- on 13th July 2016 & Rs. 22400/- on 17th August 2016 to Gulraj Construction. However litigation is pending Before Bombay High Court vide Arbitration Petition (ST) 7232 of 2017.

2. The Institute has taken GST Input Credit at the time of purchase of Capital Assets resulting in reduction of Gross Book Value of Capital Assets and such GST input credit has been written off in Accounts.

3. This Financial Statement includes Financial Statements of 88 Chapters, which further includes accounts of 7 chapters for which we have not received the Audited Accounts, reflecting total assets of Rs. 112.19 Crores and revenue (including reimbursement) of Rs. 24.78 Crores, audited by other auditors, appointed by the respective Regional Councils and Governing Bodies of the Chapters in terms of regulation 133 of the ICWA Regulation 1959, and clause 26 of the Chapter Bye-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the Management of the Institute. These 7 chapters as mentioned above are reflecting total assets of Rs. 2.95 Crores and revenue of Rs. 0.87 Crores.

Consolidated Financial Statements for the financial year 2018-19 of the Institute does not include the accounts of 11 Chapters, as no accounts have been received from their end.

Consolidated Financial Statements for the financial year 2018-19 of the Institute includes 81 Audited Chapters out of which 20 Chapters were audited by Chartered Accountants and 61 Chapters were audited by Cost Accountants.

4. The Institute is carrying in its Inventory Old Stock of Syllabus and Compact Disks amounting to Rs. 38,73,847/- dating back to 2012. This has been written off during this year.

5. In case of Northern Indian Regional Council (NIRC) of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI), as reported by the respective auditor and apparent from notes to accounts, the council has the outstanding Tax Demand of Rs. 1,85,500/-. Since NIRC is following up the matter with Income Tax authorities, no provision has been made in the books in respect of penal interest that may become payable, NIRC is of the opinion that such demands may not stand valid as same needs rectifications and follow up with the Income Tax department, although the provision/adjustment for the outstanding demand has been made in the books of Accounts.

Subject to above we report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit, except in case of a few small chapters,

b. In our opinion proper books of account as required by Law have been kept by the Institute of Cost Accountants of India so far as appears from our examination of those books (and proper returns adequate for the purpose of our Audit have been received from the Regions and Chapters not visited by us, unless otherwise stated in Point 3of Other Matter paragraph);

c. The reports on the accounts of the Regional Councils and Chapter offices of the Institute audited by the auditors of respective Regions and Chapters as have been received by us, were properly dealt with in preparing this report;

d. Subject to our Observations mentioned in Basis for Qualified Opinion Paragraph above we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and the returns received from the regions & chapters not visited by us.

For B M CHATRATH & CO LLP

Chartered Accountants

FRN: 301011E/E300025

CA SANJAY SARKAR

Partner

Membership Number: 064305

UDIN: **19064305AAAAAL5490**

Date: 07.08.2019

Place: Kolkata

The Institute of Cost Accountants of India

Balance Sheet as at 31st March,2019

Previous Year 2017-18	PARTICULARS	SCH. NO.	Current Year 2018-19	
Rs.			Rs.	Rs.
	INSTITUTE FUND :			
2,732,861,414	General Fund	**(1)**		2,906,564,207
1,454,430	Employees' Gratuity Fund	**(2)**		1,815,482
8,375,218	Misc. Prize Fund	**(3)**		8,577,189
12,963,634	Other Funds	**(4)**		27,574,582
2,755,654,696	**TOTAL**			**2,944,531,460**
	REPRESENTED BY :			
	Fixed Assets :	**(5)**		
1,150,736,244	a) Gross Block		1,195,990,540	

483,259,364	b) Less Depreciation		529,702,291	
667,476,880	c) Net Block			666,288,249
134,801,939	Capital Work In Progress			83,123,206
110,050,750	Investment	**(6)**		111,150,750
2,057,910,663	Current Assets	**(7)**	2,335,543,088	
56,919,417	Loans & Advances	**(8)**	49,287,461	
2,114,830,080			**2,384,830,549**	
271,504,953	Less : Current Liabilities & Provisions	**(9)**	300,861,294	
1,843,325,127	**NET CURRENT ASSETS**			2,083,969,255
2,755,654,696	**TOTAL**			**2,944,531,460**
	Notes to Accounts	**16**		

Schedules referred to above form part of the Accounts

As per our report attached.
For **B M Chatrath & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. : 301011E/E300025
Place : Kolkata
Dated:

CMA Soma Banerjee — HOD (Finance)
CMA L. Gurumurthy — Secretary (Acting)
CMA Balwinder Singh — Vice President
CMA Amit Anand Apte — President

Place : Kolkata
Dated : 21/07/2019

The Institute of Cost Accountants of India

Income and Expenditure Account

for the year ended 31st March,2019

Previous Year 2017-18 Rs.	PARTICULARS	Sch. No.	Current Year 2018-19 Rs.
	INCOME :		
42,989,740	Membership & Other Fees	**(10)**	47,381,067
509,972,043	Tuition & Other Fees	**(11)**	651,303,460
158,400,672	Examination & Other Fees	**(12)**	164,553,505

32,399,883	C. P.D & Other Programme Fees		25,437,450
1,094,290	Journal Subscription incl. Advertisement		770,504
1,178,115	Sale of Publication		872,270
131,210,694	Interest		147,912,045
6,933,423	Other Income		9,579,256
884,178,860	**Total :**		**1,047,809,557**
	EXPENDITURE :		
244,157,970	Establishment	**(13)**	223,781,686
110,795,802	Office Expenses	**(14)**	133,963,700
1,622,892	Statutory Audit Fees		1,690,365
14,406,034	Travelling & Conveyance		16,151,166
96,375,805	Examination Expenses	**(15)**	98,846,173
25,323,823	Council & Committee Meeting Expenses		27,055,484
280,438	Election Expenses incl. Tribunal		140,836
4,889,018	Journal Expenses		8,729,687
11,161,507	Membership Subscription to Foreign Bodies		5,562,372
3,022,304	Conference & Meeting International		7,490,782
31,311,358	C. P.D, Technical Skill Development & Other Programme Expenses	**(16)**	38,567,088
14,942,939	Professional Development Expenses		13,499,062
110,287,790	Coaching Expenses		127,057,527
25,503,476	Study Materials & Prospectus Consumed		33,800,037
567,606	Publication Stock Consumed		217,160
12,257,836	Sundry Assets Written Off (Stock & Debtors)		6,179,406
57,827,743	Depreciation	**(5)**	54,079,724
764,734,341	**TOTAL**		**796,812,255**
119,444,519	**Balance being excess of Income over Expenditure c/d**		**250,997,302**
(5,053,508)	Prior Period Adjustment (Net)	**(14A)**	(258,479)
114,391,011	**Balance being Surplus/(deficit) of Expenditure transferred to General Fund**		**250,738,823**
Schedules referred to above form part of the Accounts			

As per our report attached. For **B M Chatrath & Co LLP** Chartered Accountants Firm Regn. No. : 301011E/E300025 **Place : Kolkata Dated**	CMA Soma Banerjee — HOD (Finance) CMA L. Gurumurthy — Secretary (Acting) CMA Balwinder Singh — Vice President CMA Amit Anand Apte — President **Place : Kolkata Dated 21/07/2019**

The Institute of Cost Accountants of India

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS SCHEDULE NO.1 :

GENERAL FUND

as at 31st March,2019

Previous year 2017-18	PARTICULARS	Current year 2018-19
Rs.		**Rs.**
2,615,711,488	Balance as per Previous Balance Sheet	**2,732,861,414**
	Add :	
-	i) Capitalization of Chapter's Land & Building	27,199,275
-	ii) Transfer from Library Fund	-
2,615,711,488		**2,760,060,689**
2,615,711,488		**2,760,060,689**
-	Less- Adjustment for Pune land and building	97,290,297
	Less- Transferred to Members Benevolent Fund	10,000,000
	Less : Adjustment of 57th NCC balance	455,000
2,758,915	Add : Entrance Fees (Member)	3,509,992
2,618,470,403		**2,655,825,384**
114,391,011	Add : Net Surplus for the year as per Income & Expenditure Account	250,738,823
2,732,861,414	**Total**	**2,906,564,207**

SCHEDULE NO. 2 :

EMPLOYEES' GRATUITY FUND as at 31st March,2019

Previous year 2017-18 Rs.	PARTICULARS	Current year 2018-19 Rs.
1,127,361	Balance as per Previous Balance Sheet	**1,454,430**
270,024	Add : Contribution for the year	296,209
1,397,385		**1,750,639**
57,045	Add : Interest earned on Fixed Deposit	74,013
	of Fund for the year	
-	Less : Balance transferred to gereral fund'	9,170
	during the year	
1,454,430	**Total**	**1,815,482**

SCHEDULE NO. 3 :

MISC. PRIZE FUND as at 31st March,2019

Previous year 2017-18 Rs.	PARTICULARS	Current year 2018-19 Rs.
7,954,857	Balance as per Previous Balance Sheet	**8,375,218**
241,461	Add : Addition during the year	64,549
255,302	Add : Income credited during the year	262,616
(76,402)	Less : Cost of the prize	(125,194)
8,375,218	**Total**	**8,577,189**

SCHEDULE NO. 4 : OTHER FUND

as at 31st March,2019

Previous year 2017-18 Rs.	PARTICULARS	Current year 2018-19 Rs.
546,134	Building Fund	110,598
62,961	Library Fund	22,800
12,354,539	Misc. Fund	27,441,184
12,963,634	**Total**	**27,574,582**

The Institute of Cost Accountant of India
SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS
SCHEDULE NO. 5 :
FIXED ASSETS
as at 31st March,2019

Description of Assets	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost 01.04.18	Addition during the period	Less : Sale/ Adjust-ment of Fixed Assets during the period	Total as on 31.03.2019	Upto 01.04.2018	For the year	Add/(Less) : Depreciation Adjustment of Fixed Assets during the year	Upto 31.03.2019	This year 2018-19	Last year 2017-18
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
Tangible Assets :										
FREEHOLD LAND	160,793,820	27,199,275	(27,199,275)	160,793,820	-	-		-	160,793,820	160,793,820
LEASEHOLD LAND	64,484,501			64,484,501	7,189,785	832,057		8,021,842	56,462,659	57,294,716
FREEHOLD BUILDING	623,571,813	43,462,562	-	667,034,375	277,494,634	36,854,021	(1,264,068)	313,084,587	353,949,788	346,077,179
FURNITURE & FITTINGS	76,272,746	1,279,346		77,552,092	35,587,421	4,293,093	(1,132,266)	38,748,248	38,803,844	40,685,325
LIBRARY BOOKS	13,328,281	9,226	1,693,579	11,643,928	12,902,330	305,066	(1,980,868)	11,226,528	417,400	425,951
OFFICE EQUIPMENTS	86,952,956	65,167	(737,732)	86,280,391	45,621,565	6,469,957	(2,477,923)	49,613,599	36,666,792	41,331,391
GENERATORS	15,096,972	949,392	-	16,046,364	7,465,500	1,237,223	25,701	8,728,424	7,317,940	7,631,472
LIFT	14,063,133	-		14,063,133	6,256,938	1,170,929		7,427,867	6,635,266	7,806,195
MOTOR CAR	536,116	204,387		740,503	444,808	26,520	118,892	590,220	150,283	91,308
COMPUTER	54,523,080	1,541,355		56,064,435	52,046,393	1,676,189	(882,437)	52,840,145	3,224,290	2,476,687
CYCLE	8,368			8,368	8,368			8,368	-	-
Intangible Assets :										
SOFTWARE	41,104,458	174,172		41,278,630	38,241,622	1,214,669	(43,828)	39,412,463	1,866,167	2,862,836
	1,150,736,244	**74,884,882**	**(26,243,428)**	**1,195,990,540**	**483,259,364**	**54,079,724**	**(7,636,797)**	**529,702,291**	**666,288,249**	**667,476,880**
Previous Year	**1,150,736,244**	**82,392,314**	**(5,122,076)**	**1,228,006,482**	**370,773,369**	**69,054,319**	**(10,898,095)**	**428,929,593**	**716,164,737**	**697,050,723**
Capital-work in Progress									**83,123,206**	**134,801,939**

SCHEDULE NO. 6 : INVESTMENT (AT COST)

as at 31st March,2019

Previous year 2017-18	PARTICULARS	Current year 2018-19
Rs.		Rs.
	SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :	
	50 Shares of Rs.10/- each in	
500	Rohit Chambers Premises Co-operative Society Limited, Mumbai	500
	(earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay	
110,000,000	Investment in Insolvency Professional Agency of ICAI (1,10,00,000 Nos. of paid up shares of Rs.10 each)	110,000,000
	Investment in RVO	1,100,000
50,250	- Others	50,250
110,050,750	**TOTAL**	**111,150,750**

SCHEDULE NO. 7 : CURRENT ASSETS

as at 31st March,2019

Previous year 2017-18	PARTICULARS	Current year 2018-19	
Rs.		Rs.	Rs.
	Stock :		
1,906,264	- Publication Stock (at Cost)		2,471,199
5,765	- Paper Stock (at Cost)		6,980
11,550,850	- Study Material incl.Prospectus Stock (at Cost)		4,346,437
1,830,905	- Stock of Other Material (at Cost)		1,800,661
32,534,495	Sundry Debtors	42,212,546	
-	Less : Provision for Do	-	42,212,546
74,458,426	Other Receivables		79,287,401
	Cash and Bank Balances :		
1,139,843	Cash in hand		1,125,674
-	Postage Stamp in hand		-
	Cheques in hand		
	Balances with Scheduled Banks :		
91,923,814	On Current Account		109,870,442
45,592,290	On Savings Account		52,163,099
1,796,968,011	**Fixed Deposits with Banks :**		2,042,258,649
2,057,910,663	**Total**		**2,335,543,088**

SCHEDULE NO.8 : LOANS AND ADVANCES

as at 31st March,2019

Previous year 2017-18	PARTICULARS	Current year 2018-19
Rs.		Rs.
20,946,264	Other Advances	9,150,288
510,925	Festival Advance to Employees	303,695
3,586,019	Advance Membership Subscription to Foreign Bodies	-
24,774,496	TDS Receivable	32,668,069
1,461,610	Prepaid Expenses	1,700,631
5,640,103	Deposit	5,464,778
56,919,417	**Total**	**49,287,461**

SCHEDULE NO.9 :

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

as at 31st March,2019

Previous year 2017-18	PARTICULARS	Current year 2018-19
Rs.		Rs.
	Current Liabilities :	
3,180,858	Library Deposit	2,278,701
52,009,990	Sundry Creditors	43,652,760
40,408,071	Current Account with RC & Chapter	53,917,615
155,536,793	Other Liabilities	185,785,997
5,311,945	TDS Payable	6,147,994
15,057,296	Provisions	9,078,227
271,504,953	**Total**	**300,861,294**

SCHEDULE NO.10 : MEMBERSHIP & OTHER FEES :

for the year ended 31st March,2019

Previous year 2017-18	PARTICULARS	Current year 2018-19
Rs.		Rs.
34,532,979	Annual Membership Fees	38,952,486

7,055,770	Members Certificate of Practice Fees	8,206,267
9,600	Grad C.W.A. Fees	-
401,192	Members Complaint / Restoration Fees/Nomination Fees	92,370
500	Certified Facilitation Centre Fees	-
971,684	Membership & Certification Fees - IMA(USA)	83,324
18,015	Certificate of Good Standing	46,620
42,989,740	**Total**	**47,381,067**

SCHEDULE NO.11 :
TUITION AND OTHER FEES :
for the year ended 31st March,2019

Previous year 2017-18	**PARTICULARS**	**Current year 2018-19**
Rs.		**Rs.**
21,181,000	Student Registration Fees	23,305,560
5,340,000	Practical Training Registration Fees	7,328,000
3,388,234	Practical Training/Subject Exemption Fees	6,796,512
416,904,223	Tuition Fees	566,607,979
46,535,559	CAT Course Income	33,251,426
7,837,661	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	8,363,400
3,408,926	Sale of Prospectus	3,820,935
5,374,940	Sale of Study Notes	1,791,148
1,500	Sale of Postal Coaching,Revalidation & Denovo Forms	38,500
509,972,043	**Total**	**651,303,460**

SCHEDULE NO.12 :

EXAMINATION AND OTHER FEES :

for the year ended 31st March,2019

Previous year 2017-18	**PARTICULARS**	**Current year 2018-19**
Rs.		**Rs.**
154,249,803	Examination Fees	158,891,616
4,147,569	Verification of Answers Paper Fees	5,658,389
-	Sale of Suggested Answer including Scanner	-
3,300	Sale of Exam. Forms	3,500
158,400,672	**Total**	**164,553,505**

SCHEDULE NO.13 :
ESTABLISHMENT
for the year ended 31st March,2019

Previous year 2017-18	PARTICULARS	Current year 2018-19
Rs.		Rs.
187,134,485	Salaries & Allowances	185,326,499
19,188,415	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	3,511,457
16,618,315	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	16,151,102
2,480	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	2,016
5,389,412	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	3,355,262
4,761,026	Employees' Leave Encashment - Existing	5,519,942
5,932,796	Medical Expenses	5,683,331
348,697	Leave Travel Allowance to Employees	1,094,490
1,364,245	RPFC Administration & E.D.L.I. Inspection Charges	1,025,603
3,418,099	Training & Development (H.R.D.)	2,111,984
244,157,970	**Total**	**223,781,686**

SCHEDULE NO.14 : OFFICE EXPENSES

for the year ended 31st March,2019

Previous year 2017-18	PARTICULARS	Current year 2018-19
Rs.		Rs.
6,494,059	Printing & Stationery	6,658,065
8,369,158	Postage,Telegrams,Telephones & Fax	7,573,571
1,444,520	Internal Audit Fees	1,764,655
10,052,382	Electricity Charges	10,991,630
200,310	Generator Expenses	258,883
2,547,020	Rates & Taxes	2,525,917
385,380	Insurance	306,746
9,226,142	Repair & Maintenance	9,135,454
1,378,755	Car Expenses	1,734,767
10,720	Interest on Caution Money Deposit	12,570
2,462,439	Legal Charges	5,462,614
277,266	Bank Charges	372,082
5,617,145	Computer Maintenance Expenses	4,908,484

2,170,787	Public Relation Expenses	2,292,478
1,965,035	Watch & Ward Expenses	2,495,251
452,305	Books & Periodicals	654,803
196,651	Delegate Fee	385,614
318,775	Gazette Notification	478,910
2,485,050	Staff Welfare	1,598,960
	Advertisement Expenses for New Syllabus	
8,062,175	Rent	6,880,611
42,130,884	Administrative Charges	59,845,123
4,548,844	Sundry Expenses	7,626,512
110,795,802	**Total**	**133,963,700**

SCHEDULE NO.15 :

EXAMINATION EXPENSES

for the year ended 31st March,2019

Previous year 2017-18	**PARTICULARS**	**Current year 2018-19**
Rs.		**Rs.**
25,783,079	Examination Expenses	28,340,983
42,086,591	Examiners' Remuneration	40,455,241
26,878,405	Examination Center Expenses	25,839,234
421,663	Examination Expenses for oral coaching Students	798,789
1,206,067	Prize & Prize Distribution Expenses	3,411,926
96,375,805	**Total**	**98,846,173**

SCHEDULE NO.16 :
CPD PROGRAMME EXPENSES AND TECHNICAL SKILL
for the year ended 31st March,2019

Previous year 2017-18	**PARTICULARS**	**Current year 2018-19**
Rs.		**Rs.**
8,406,983	CPD Expenses	7,985,781
5,132	Project Expenses	715,169
3,145,786	National Award including Best Chapter Award	6,912,746
8,521,946	Regional Cost / National Convention Expenses	9,759,392
10,836,098	CPD Expenses - RC's/Chapters	11,177,364
395,413	Technical Skill Development	2,016,636
31,311,358	**Total**	**38,567,088**

SCHEDULE NO. 14A :

PRIOR PERIOD ADJUSTMENT

as at 31st March,2019

Previous year	PARTICULARS	Current year	
2017-18		2018-19	
Rs.		Rs.	
	Prior Period Income		
102,829	HQ		104,047
-	WIRC		-
-	EIRC		3,768,426
268,850	NIRC		335,157
55,554	Chapters of WIRC		91,925
-	Chapters of SIRC		1,203,815
-	Chapters of EIRC		-
82,951	Chapters of NIRC		10,100
510,184	**Total (A)**		**5,513,470**
	Prior Period Expenses		
3,623,676	HQ		3,514,329
-	WIRC		-
-	SIRC		-
1,232,993	EIRC		1,041,608
354,885	NIRC		770,573
63,933	Chapters of WIRC		263,345
162,080	Chapters of SIRC		129,644
	Chapters of EIRC		
126,125	Chapters of NIRC		52,450
5,563,692	**Total (B)**		**5,771,949**
(5,053,508)	**PRIOR PERIOD ADJUSTMENT (A-B)**		**(258,479)**

The Institute of Cost Accountants of India

CASH FLOW STATEMENT as at 31st March,2019

Previous Year	PARTICULARS	Current Year	
2017-18		2018-19	
Rs		Rs	Rs
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			

40,256,837	NET SURPLUS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEM	250,738,823	
69,054,319	ADD- DEPRECIATION	54,079,724	
109,311,156	**OPERATING SURPLUS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES**	**304,818,547**	
18,433,643	INCREASE IN CURRENT LIABILITIES	29,356,341	
(20,610,209)	INCREASE IN CURRENT ASSETS	206,563	
39,043,852		**29,149,778**	
148,355,008	**NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES**		**333,968,325**
	CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES		
38,457,865	PURCHASE OF FIXED ASSETS	(6,424,437)	
111,050,250	DECREASE IN INVESTMENT	1,100,000	
149,508,115	**NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES**		**(5,324,437)**
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
1,771,609	INCREASE IN CAPITAL	(69,498,856)	
1,771,609	**NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES**		(69,498,856)
618,502	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT**		**269,793,906**
1,763,397,987	ADD- CASH & CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		1,935,623,958
1,764,016,489	**CASH & CASH EQUIVALENT AS AT 31.03.2018**		**2,205,417,864**

1,139,843	Cash	1,125,674
1,796,968,011	Fixed Deposit	2,042,258,649
91,923,814	Bank Balance - Current A/c	109,870,442
45,592,290	Bank Balance - Savings A/c	52,163,099
1,935,623,958		**2,205,417,864**

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

Schedule – 17

A. Significant Accounting Policies:

1. Basis for preparation of Financial Statements :

The Financial Statements are prepared under the historical cost convention, the applicable Accounting Standards, the relevant provisions of the Cost and Works Accountants Act, 1959, as amended and are on accrual basis unless otherwise stated.

2. Basis of Consolidation

The financial statements of HQ (Kolkata) and New Delhi office and its Four Regional councils and Eighty Eight Chapters are consolidated by adding together the value of assets and liabilities, income and expenses after eliminating all material intra group balances, intra group transactions and resultant unrealized surplus/deficit. Necessary adjustments are made wherever required.

3. Entrance Fee

Entrance Fee received from members is capitalized.

4. Registration Fee

Registration Fee received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled.

5. Revenue Recognition :

The Institute recognizes significant items of income on the following basis:-

a) Members' Subscription

Membership Subscription is recognized in the year to which it pertains.

b) Tuition and other Fees

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled**.**

c) Sale of Publication

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

d) Examination Fees

Examination Fees is recognized for the concerned term(s) to which it pertains.

e) Others

Revenue from Programme Fee is recognized as and when such activity is undertaken.

f) Interest

Income from interest for the year due on Fixed Deposit with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount outstanding and the applicable rate.

g) Income from Investments is recognized as and when the right to receive the payment is established.

6. Expenditure:

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

i. The Annual Grants to Chapters are recognized as and when disbursed.

ii. Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

7. Fixed Assets:

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost comprises the purchase price and any other cost attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. Assets under creation are shown as capital work-in-progress.

8. Depreciation/Amortization :

a) Depreciation on Fixed Assets is provided on written down value method as per Income Tax Act,1961.

b) Book Value of Leasehold land including premium paid thereon are amortized over the Lease period. The ground rent if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.

c) Library books are depreciated at 100% in the year of purchase.

9. Investments :

Long term investments are stated at cost. However, when there is a decline other than temporary, in the value of long term investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

10. Inventories :

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at Cost or Net Realizable Value whichever is lower. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on weighted average basis and cost of paper is determined on first-in-first-out basis.

11. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

i. A provision is recognized:-

a) When there is present obligation as a result of past event;

b) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and

c) A reliable estimate can be made of the amount of obligation.

ii. No provision is recognized for:

a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;

b) any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

12. Foreign Currency Transactions:

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the period in which it arises.

13. Employee Benefits:

i. Short term benefit:

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the period. Unclaimed amount is provided for.

ii. Post-Employment benefit such as P.F, Gratuity, Leave Encashment etc. are provided as applicable to Head Quarter, respective Regional Councils and Chapters.

14. Impairment of Assets :

At the Balance Sheet date impaired assets, if any are identified and necessary provision as required is made.

15. Prior Period income/expenditure:

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Income & Expenditure Account.

B. Notes forming part of Accounts

1. The consolidated financial statement is prepared considering Head Quarter Kolkata, New Delhi office, Four Regional Councils and Eighty Eight Chapters out of which seven accounts are unaudited viz. Bharuch-Ankleshwar, Palakkad, Jamshedpur, Noida, Naya nangal, Jodhpur and Haridwar Rishikesh.

Accounts of eleven chapters namely, Jabalpur, Bhadravati-Simoga, Ghaziabad, Mangalore, Bellary, Dehradun, Jammu, Patiala Jajpur Keonjar, Naihati and Sambalpur are not included having not been received. However previous year balance sheet figures of these chapters have been considered for consolidation (Refer – Annexure I).

2. Exemption in respect of Income Tax has been granted u/s 10(23A) read with Section 11 of the Income Tax Act, 1961. As such no provision for Income Tax has been made. No provision for Deferred Tax Asset and Liability is considered necessary.

3. All Prize Funds maintained by the Institute have been incorporated in the accounts together with relevant investment in Fixed Deposit thereof. The funds have been sponsored by the different donors.

4. Fixed Deposit of Rs. 204, 22, 58,649/- includes Rs.51,99,024/- for Misc prize and other fund.

5. Other Advances include Rs. 1,36,097/- (previous year Rs.1,36,097/-) due from former Council Member owing to disallowances by the MCA, Govt. of India and presently the matter is sub-judice.

6. Statutory Audit Fees includes:-

Statutory Audit Fees (HQ) (inclusive of GST) **Rs.4,92,267 /-**

7. **(i) Head Quarters**

a) Provident Fund contributions are made to the Institute of Cost Accountants of India Employees Provident Fund Trust.

b) The liability in respect of Gratuity, as per Payment of Gratuity Act, 1972 (as amended) is Recognized on the basis of contribution made to the LICI against the Group Gratuity Policy.

c) The liability in respect of leave encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LICI.

d) Fixed Deposit of Rs. 89, 34,26,535/- includes Rs.29,18,957/- for Misc prize and other fund.

(ii) EIRC

a) Out of sundry debtors Rs 13, 34,051/- as on 31.3.2019 a sum of , Rs 11, 42,729/- more than three years old neither any payment nor any balance confirmation having given by the party, the amount of Rs 11,42,729/- have been provided in the books of accounts as doubtful debts.

b) Advance of Rs 13,10,101/- is remaining unadjusted for more than 3 years.

c) As per Actuarial valuation of group gratuity scheme by LICI on 17/07/2018, payment liability was Rs 25,73,892/-. EIRC has paid only Rs 12,00,000/- during the year, No liability has been created in the books of accounts for the balance amount

d) Since 2014-15, a sum of Rs.1, 60, 44,103/- has been shown as CWIP although the same has been used as regular assets since 2015-16. In absence of non capitalization of same due to some legal reason, no depreciation has been provided in last 4 years in the accounts.

e) EIRC has received a total sum of Rs 41,98,369/- from SBI during the year on account of lease rent which was pending since 01.01.2013. In absence of complete breakup being available from SBI the amount has been accounted for the following ways:

4. Prior period income – Rs 37,68,426.00
5. Rent Received - Rs 4,33,208.00
6. Other income - Rs 2,78,520.00

Rs 43,90,154.00

Less TDS - Rs 191785.00

Rs 41,98,369.00

The computation of GST liability on the rental income in under process.

f) In terms of the orders dated 27th May 2015 of the Disciplinary Committee, in complaint no. Com/21-CWA (9) 2010, the following orders were imposed against a Member in terms of Sec 21B(3) CWA Act, 1959 read with rule 19(1) of the Cost and Works Accountants (procedure of Investigations of Professional & Other Misconduct and conduct of cases), Rules 2007.

- "Reprimanding the Member

- Repayment of the entire amount of Rs. 61,461/- to EIRC of Institute plus equivalent amount of fine to be paid within 30 days of service of the order and
- Removal of the name from the register of Member for period of one year from date of the service order"

Accordingly, Rs. 1,22,922/- was recoverable from the concerned person.

An appeal was preferred before the appellant authority of the Institute of Cost Accountants India and the said appellant Authority by virtue of order 09/04/18 in exercise of the powers conferred upon this said authority under clause (C) of sub section (2) of section 22E of the Cost and Works Accountants Act has stayed the operation of the Impugned Order passed by the Disciplinary Committee of the Institute till the completion of the directions for which the, matter is being remitted to the Disciplinary Committee of the Institute of Cost Accountants of India for under taking the aforesaid proceeding for the purpose as mentioned under Para(12) of the order dt.09/04/2018 and to pass fresh Order.

8. **Contingent Liability (Claims not acknowledged as Debt)**

a) As per policy medical expenses (General, Pathology expenses) are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years.

As on 31st March 2019, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to Rs. 49, 14,003/-.

b) There is a legal suit filed by ex contractual employees against EIRC sometime in the year 2014, which is still pending. Status has not been changed during the year. Necessary effect if any will be provided in the accounts after the final outcome of the case.

c) The Council in its 320th meeting held on 21st July resolved that a service tax demand of Rs. 5,01,68,756/- along with applicable interest penalty (Rs. 5,01,68,756/-) as per Finance Act, 1994 RW CGST Act, 2017 should be reported as a contingent liability.

9. Balance of GST input credit as on 31.3.2019 amounting to Rs 1,29,69,292/- has been charged to Income & Expenditure Account.

10. The council in its 320th meeting held on 21st July 2019 passed the following resolution

" RESOLVED THAT, In pursuance with the Directives issued to WIRC & NIRC under Regulation 145A by the Central Council vide decision taken in the 316th Adjourned Meeting of the Council held on 6th January, 2019 to amend the Minutes of 315th Meeting of the Council held on 20th and 28th September, 2018, Debit Notes issued by the NIRC against CMA Vijender Sharma and WIRC against CMA (Dr) Ashish P. Thatte and CMA Neeraj Joshi, which are appearing in the individual books of accounts of the respective Regional Councils are null / void / illegal. All these Debit Notes are to be removed from the consolidated books of accounts of the Institute to give a true, fair and accurate position of accounts."

Considering the Council resolution the debit notes has been removed from the consolidated accounts of the Institute for FY 2018-19.

11. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of accounts.

12. Based on the available information as at 31st March, 2019, there is no amount including Interest thereon payable to Micro, Small and Medium Enterprises as defined under "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006".

13. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year's groupings.

CMA Soma Banerjee
HOD (Finance)

CMA L. Gurumurthy
Secretary (Acting)

CMA Balwinder Singh
Vice President

CMA Amit Anand Apte
President

Date: 21-7-2019

ANNEXURE-I

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

STATUS OF RECEIPT OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE F.Y. 2018-19

WESTERN REGION			**SOUTHERN REGION**	
SL.NO.	**NAMES**		**SL.NO.**	**NAMES**
1	WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL		1	SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL
2	Ahmedabad Chapter of ICAI		2	Bangalore Chapter of ICAI
3	Aurangabad Chapter of ICAI		3	***Bhadravati -Shimoga Chapter of ICAI #***
4	Baroda Chapter of ICAI		4	Cochin Chapter of ICAI
5	Bhilai Chapter of ICAI		5	Coimbatore Chapter of ICAI
6	Bhopal Chapter of ICAI		6	Erode Chapter of ICAI
7	Bilaspur Chapter of ICAI		7	Godavari Chapter of ICAI
8	Goa Chapter of ICAI		8	Hyderabad Chapter of ICAI
9	Indore-Dewas Chapter of ICAI		9	Kottayam Chapter of ICAI
10	**Jabalpur Chapter of ICAI #**		10	Madurai Chapter of ICAI
11	Kalyan-Ambarnath Chapter of ICAI		11	***Mangalore Chapter of ICAI #***
12	Kolhapur-Sangli Chapter of ICAI		12	Mettur-Salem Chapter of ICAI
13	Kutch-Gandhidham Chapter of ICAI		13	Mysore Chapter of ICAI
14	Nagpur Chapter of ICAI		14	Nellai-Pearl City Chapter of ICAI
15	Nasik-Ojhar Chapter of ICAI		15	Nellore Chapter of ICAI
16	Navi Mumbai Chapter of ICAI		16	*Neyveli Chapter of ICAI*
17	Pimpri–Chinchwad–Akurdi Chapter of ICAI		17	Palakkad Chapter of ICAI
18	Pune Chapter of ICAI		18	Pondicherry Chapter of ICAI
19	Raipur Chapter of ICAI		19	Ranipet-Vellore Chapter of ICAI
20	Surat-South Gujarat Chapter of ICAI		20	Thrissur Chapter of ICAI
21	Vapi-Daman-Silvassa Chapter of ICAI		21	Tiruchirapalli Chapter of ICAI
22	*Vindhyanagar Chapter of ICAI*		22	Trivandrum Chapter of ICAI
23	*Solapur Chapter of ICAI*		23	Ukkunagaram Chapter of ICAI
24	*Bharuch Ankleshwar Chapter of ICAI*		24	Vijayawada Chapter of ICAI
			25	Visakhapatnam Chapter of ICAI
			26	***Bellary Chapter #***
			27	Hosur Chapter

EASTERN REGION		**NORTHERN REGION**	
SL.NO.	**NAMES**	**SL.NO**	**NAMES**
1.	EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL	1.	*NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL*
2.	*Agartala Chapter of ICAI*	2.	Agra-Mathure Chapter of ICAI
3.	Asansol Chapter of ICAI	3.	Ajmer-Bhilwara Chapter of ICAI
4.	Bokaro Steel City Chapter of ICAI	4.	Allahabad Chapter of ICAI
5.	Bhubaneswar Chapter of ICAI	5.	Chandigarh-Panchkula Chapter of ICAI
6.	Cuttack Jagatsinghpur Kendrapara Chapter of ICAI	6.	***Dehradun Chapter of ICAI*** #
7.	Dhanbad-Sindri Chapter of ICAI	7.	Faridabad Chapter of ICAI
8.	Durgapur Chapter of ICAI	8.	***Ghaziabad Chapter of ICAI #***
9.	Guwahati Chapter of ICAI	9.	Gorakhpur Chapter of ICAI
10.	Hazaribag Chapter of ICAI	10.	Gurgaon Chapter of ICAI
11.	Howrah Chapter of ICAI	11.	Hardwar-Rishikesh Chapter of ICAI
12.	***Jajpur-Keonjhar Chapter of ICAI*** #	12.	Jaipur Chapter of ICAI
13.	Jamshedpur Chapter of ICAI	13.	Jalandhar Chapter of ICAI
14.	Kharagpur Chapter of ICAI	14.	***Jammu Chapter of ICAI #***
15.	***Naihati-Ichapur Chapter of ICAI*** #	15.	Jhansi Chapter of ICAI
16.	Patna Chapter of ICAI	16.	Jodhpur Chapter of ICAI
17.	Rajpur Chapter of ICAI	17.	Kanpur Chapter of ICAI
18.	Ranchi Chapter of ICAI	18.	Kota Chapter of ICAI
19.	Rourkela Chapter of ICAI	19.	Lucknow Chapter of ICAI
20.	***Sambalpur Chapter of ICAI*** #	20.	Ludhina Chapter of ICAI
21.	*Serampore Chapter of ICAI*	21.	*Naya Nangal Chapter of ICAI*
22.	Siliguri-Gangtok Chapter of ICAI	22.	Noida Chapter of ICAI
23.	South Orissa Chapter of ICAI	23.	***Patiala Chapter of ICAI*** #
24.	Talcher-Angul Chapter of ICAI	24.	Udaipur Chapter of ICAI
25.	Dhuliajan Chapter of ICAI	25.	Bikaner Jhunjhunu Chapter of ICAI
26.	Chanrapur Chapter		
27.	Bankura Chapter		

 # Not Included

S.C. GUPTA, Acting Secy.

[ADVT-III/4/Exty./226/2019]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.01 13:32:10 +05'30'